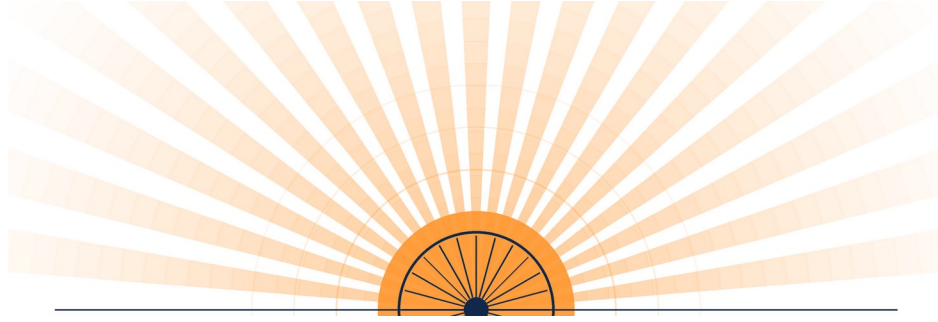




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“पहला सिद्धांत यह है कि आप स्वयं को धोखा न दें—और सबसे आसानी से धोखा खाने वाले आप स्वयं ही हैं”

— रिचर्ड पी. फ्राइनमैन, “कार्गो कल्ट साइंस”, कैलटेक दीक्षांत भाषण (1974)

द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) — 7 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan • 7 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“कहा जाता है कि धूप सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है, और बिजली की रोशनी सबसे कुशल सिपाही।”

— **लुई डी. ब्रैंडाइस** • “What Publicity Can Do”, *हार्पर्स वीकली* (20 दिसंबर 1913); *Other People's Money and How the Bankers Use It* (1914), अध्याय 5 में पुनर्प्रकाशित

उपयोग करें (Use in): आज की खबरें, कर्नाटक लोक सेवा आयोग की भर्ती-जाँच और आधी सदस्य-संख्या पर चल रही भारतीय प्रेस परिषद। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-2 और 4 के उत्तरों में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, सामाजिक अंकेक्षण और सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता पर, तथा संस्थाओं और जवाबदेही पर निबंधों में कीजिए। ब्रैंडाइस ने यह बात बैंकों के शुल्क के प्रकटीकरण के बारे में लिखी थी, इसलिए यह सामान्य अध्ययन-3 में वित्तीय विनियमन के उत्तरों में भी जँचती है। संतुलन भी रखिए: धूप और चकाचौंध एक नहीं हैं; सूचना का अधिकार अधिनियम स्वयं मंत्रिमंडल के विचार-विमर्श को मामला पूरा होने तक संरक्षण देता है, इसलिए हर मसौदे के प्रदर्शन की नहीं, समयबद्ध और सुविचारित प्रकटीकरण की वकालत कीजिए।

“लगभग हर व्यावसायिक लेन-देन में भरोसे का एक तत्व निहित होता है, और जो लेन-देन कुछ समय तक चलता है उसमें तो निश्चित रूप से।”

— **केनेथ जे. ऐरो** • “Gifts and Exchanges”, *फ़िलॉसफ़ी ऐंड पब्लिक अफ़ेयर्स*, खंड 1, अंक 4 (1972)

उपयोग करें (Use in): आज के सर्वेक्षण का निष्कर्ष कि यूपीआई पर सबसे अधिक भरोसा करने वाले भारतीय ही ठगी के अधिक शिकार हुए, जबकि बैंक दायित्व से इनकार करते हैं। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-3 के उत्तरों में डिजिटल भुगतान, साइबर ठगी और बैंकिंग विनियमन पर, तथा भरोसे और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर निबंधों में कीजिए: भरोसा आर्थिक बुनियादी ढाँचा है, और जो व्यवस्था उसका दोहन होने देती है वह अपनी ही नींव खोदती है। इसे अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में ग्राहक के दायित्व पर रिज़र्व बैंक के 2017 के ढाँचे और आई4सी की ठगी-रिपोर्टिंग व्यवस्था के साथ जोड़िए। संतुलन भी रखिए: भरोसा विज्ञापन से माँगा नहीं जाता, बनावट से कमाया जाता है, जैसे म्यूल खातों को रोकने वाला केवाईसी और साझा दायित्व।

“पर पहरदारों पर पहरा कौन देगा? (सेद क्विस कुस्तोदियेत इप्सोस कुस्तोदेस?)”

— **जुवेनल** • *व्यंग्य-काव्य (Satire) VI*, पंक्तियाँ 347–348 (लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का आरंभ)

उपयोग करें (Use in): आज एक निलंबित लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और एक सदस्य की गिरफ्तारी, जब परीक्षा नियंत्रक पर प्रश्न लीक करने का आरोप पहले ही लग चुका है। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में संवैधानिक निकायों (अनुच्छेद 315–323), अनुच्छेद 317 के तहत आयोग के सदस्यों के निलंबन और हटाए जाने, तथा प्रेस परिषद जैसे नियामकों की स्वतंत्रता पर, और सामान्य अध्ययन-4 में भर्ती की शुचिता पर कीजिए। जुवेनल का उत्तर परतदार जवाबदेही है: ऑडिट-ट्रेल, दो-चाबी अभिरक्षा, स्वतंत्र सदस्य, न्यायालय और संरक्षित शिकायतकर्ता। संतुलन भी रखिए: पहरदारों की अंतहीन परतें हर निर्णय को धीमा कर देती हैं, इसलिए कम, स्वतंत्र और स्वचालित जाँचें गढ़िए।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड • पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 7 मिनट

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 सर्वोच्च न्यायालय ने 23 वर्ष पुराने 'द हिंदू' विशेषाधिकार संदर्भ को निष्फल बताकर बंद किया; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न अनुत्तरित
- 1.2 I&B द्वारा 13 अधिसूचनाएँ लटकाने से प्रेस परिषद एक वर्ष से आधी संख्या पर
- 1.3 ED ने भर्ती घोटाले में निलंबित कर्नाटक PSC अध्यक्ष और एक सदस्य को गिरफ्तार किया
- 1.4 उच्च न्यायालय का पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय की CBI जाँच का आदेश; पंजाब ने संघवाद की दुहाई दी

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 मंत्रिमंडल ने रेल, सड़क, बंदरगाह और वायु-परिवहन की एक नेटवर्क के रूप में योजना बनाने के लिए ITLA को मंजूरी दी
- 2.2 बढ़ते विनिर्माताओं को धैर्यवान इक्विटी देने के लिए ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 आंध्र प्रदेश ने समय-सीमा से एक महीने पहले 688 में से 388 मंडलों में सूखा घोषित किया

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 होर्मुज़ और काला सागर में हमलों से भारतीय चालक दल घायल; भारत नाविक-सुरक्षा की कूटनीति में अग्रणी

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 सियांग बाँध सर्वेक्षण के विरोध-प्रदर्शन झड़पों में बदले; आदि युवा संगठन ने बलों की वापसी माँगी

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित 300 के मुकाबले केवल 148 ज़िलों में कुष्ठ रोग का संचरण थमा

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 7.1 भौतिकी का नोबेल 2026 दक्षिणी ध्रुव की न्यूट्रिनो दूरबीन आइसक्यूब के लिए फ्रांसिस हाल्जेन को

8. समाज (Society)

- 8.1 सुकमा की ग्राम सभाओं ने PESA का हवाला देकर पादरियों पर रोक लगाई और ईसाइयों को दफ़न की भूमि देने से इनकार किया

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 9.1 SPIR 2026: UPI पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाले भारतीय धोखाधड़ी के शिकार अधिक बनते हैं, बैंक देनदारी से इनकार करते हैं

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 प्रकरण 1 — बिकती हुई मेरिट सूची: परीक्षा नियंत्रक की करतूत का पता चलने पर आयोग का सदस्य
- 9.2 प्रकरण 2 — “उनके नाम कट गए हैं, उन्हें रोके रखो”: पुलिस अधिकारी और प्रवासी मज़दूर

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 17 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.4
- 11.2 GS1 कोना — History: अक्टूबर की दो क्रांतियाँ: रूस (1917) और चीन (1949)
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): नैतिक साहस (Moral courage)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

12.1 दर्पण और खिड़की : जो संस्थाएँ स्वयं को नहीं देख पातीं, वे दूसरों की सेवा नहीं कर पातीं।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	सर्वोच्च न्यायालय ने 23 वर्ष पुराना हिंदू विशेषाधिकार संदर्भ निष्प्रयोजन बताकर बंद किया क्यों ज़रूरी: GS2 विधायी विशेषाधिकार: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 105, 194 और सर्वलाइट मामला; मुख्य परीक्षा के लिए विशेषाधिकार बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
2.1	परिवहन को एक नेटवर्क मानकर नियोजित करने हेतु ITLA को मंजूरी क्यों ज़रूरी: GS3 अवसंरचना: प्रारंभिक परीक्षा के लिए गति शक्ति और लॉजिस्टिक्स नीति; मुख्य परीक्षा के लिए एकीकरण बनाम मंजूरी की एक और परत।
4.1	होर्मुज़ और काला सागर में हमलों में भारतीय चालक-दल घायल क्यों ज़रूरी: GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध: प्रारंभिक परीक्षा के लिए UNCLOS का ध्वज-राज्य नियम और समुद्री श्रम अभिसमय; मुख्य परीक्षा के लिए विदेशी जहाज़ों पर नाविकों की सुरक्षा।
6.1	कुष्ठ का संचरण अनुमानित 300 में से केवल 148 ज़िलों में रुका क्यों ज़रूरी: GS2 स्वास्थ्य: प्रारंभिक परीक्षा के लिए WHO की उन्मूलन-सीमा और रिफ़ैम्पसिन प्रोफ़िलैक्सिस; मुख्य परीक्षा के लिए प्रसार-दर बनाम संचरण।
8.1	सुकमा की ग्राम सभाओं ने PESA के नाम पर पादरियों, दफ़नाने पर रोक लगाई क्यों ज़रूरी: GS1/GS2: प्रारंभिक परीक्षा के लिए PESA की धारा 4(d) और अनुच्छेद 25 व 21; मुख्य परीक्षा के लिए प्रथा बनाम मूल अधिकार।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की हर खबर एक ऐसे प्रहरी की है जिसका अपना पहरा ढीला पड़ गया है। विधायिका को आलोचकों को दंडित करने की जो शक्ति मिली है, वह इसलिए बची रही कि अदालत ने विवाद को ही समाप्त मान लिया; प्रेस का निगरानी-निकाय पूरी संख्या में बैठ नहीं पा रहा, क्योंकि एक मंत्रालय ने अधिसूचना पर हस्ताक्षर नहीं किए; भर्ती करने वाले आयोग पर उसी योग्यता को बेचने का आरोप है जिसकी रक्षा के लिए वह बना है; और एक राज्य की पुलिस-शक्ति की परीक्षा न्यायालय के आदेश से शुरू हुए CBI मामले में हो रही है। हर प्रकरण का उत्तर और अधिक कवच नहीं, बल्कि ऐसे नियम हैं जो प्रहरियों को समय पर जवाबदेह बनाएँ।

1.1 सर्वोच्च न्यायालय ने 23 वर्ष पुराने 'द हिंदू' विशेषाधिकार संदर्भ को निष्फल बताकर बंद किया; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न अनुत्तरित

मुद्दा विधायी विशेषाधिकार और प्रेस (कड़ी 2) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी अनुच्छेद 105 और 194 विधायिकाओं को ऐसे विशेषाधिकार देते हैं जिन्हें किसी कानून ने परिभाषित नहीं किया है। वर्ष 2003 का एक मामला, जो तमिलनाडु विधानसभा के उस प्रस्ताव से उपजा था जिसमें 'द हिंदू' के संपादकीय कर्मियों की गिरफ्तारी की बात थी, 6 अक्टूबर को सात न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध था।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। जिस मामले का पूर्वावलोकन हमने 1 अक्टूबर को दिया था, वह बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने, 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, "आधे घंटे से भी कम" में उस संदर्भ का निपटारा निष्फल (infructuous) बताकर कर दिया, जिसमें प्रश्न था कि क्या विधायी विशेषाधिकार का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने के लिए किया जा सकता है। "निष्फल" का अर्थ है कि मामले के पीछे का विवाद अब अस्तित्व में नहीं है। पीठ ने ध्यान दिलाया कि विधानसभा का 7 नवंबर 2003 का वह प्रस्ताव, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आलोचना करने वाले 'द हिंदू' के एक संपादकीय को विशेषाधिकार-भंग माना गया था, 30 जुलाई 2004 को वापस ले लिया गया था। मामला भेजे जाते समय यह तथ्य "ध्यान से छूट गया" था (द इंडियन एक्सप्रेस)। विधानसभा के अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने इसे 5 अक्टूबर को उठाया। अनुच्छेद 194 बनाम अनुच्छेद 19(1)(a) के बड़े विधिक प्रश्न किसी उपयुक्त मामले के लिए खुले छोड़ दिए गए।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2003 का एक संपादकीय जयललिता सरकार की आलोचना करता है → 7 नवंबर 2003 का प्रस्ताव विशेषाधिकार-भंग मानकर गिरफ्तारी का आदेश देता है → न्यायालय कार्रवाई पर रोक लगाता है; बड़ी पीठें 2003-04 में मामला उठाती हैं → विधानसभा 30 जुलाई 2004 को प्रस्ताव वापस ले लेती है, जो किसी की नज़र में नहीं आता → सात न्यायाधीश 6 अक्टूबर 2026 को मामला बंद कर देते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. अनुच्छेद 194(3) विशेषाधिकारों को असंहिताबद्ध छोड़ता है — अनुच्छेद 194(1) और (2) राज्य विधायकों को सदन में बोलने की स्वतंत्रता और वहाँ कही गई बात या दिए गए मत के लिए न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति देते हैं; संसद के लिए अनुच्छेद 105 यही करता है। अन्य विशेषाधिकार वही हैं जिन्हें विधायिका कानून द्वारा परिभाषित करे, और जब तक ऐसा न हो, वे जो 44वें संविधान संशोधन, 1978 से पहले उसे प्राप्त थे। किसी भी सदन ने वह कानून नहीं बनाया है।
2. अदालतें उन प्रश्नों से बचती हैं जो अकादमिक हो चुके हैं — जब किसी मामले का कारण समाप्त हो जाता है, जैसे प्रस्ताव वापस लिया जाए या कानून निरस्त हो, तो वह निष्फल हो जाता है और बिना निर्णय के बंद कर दिया जाता है। "खुला" छोड़ा गया प्रश्न कोई नज़ीर नहीं बनाता, इसलिए पहले के निर्णय बाध्यकारी बने रहते हैं। केवल अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति का संदर्भ ही बिना किसी जीवित विवाद के राय मांगने का रास्ता खोलता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. नागरिक के विरुद्ध विशेषाधिकार GS2 का जीवंत विषय है — पाठ्यक्रम में विधायिकाओं की "शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे" स्पष्ट रूप से शामिल हैं; "खुला" छोड़ा गया प्रश्न ठीक ऐसा ही एक मुद्दा है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- 44वें संविधान संशोधन, 1978 ने अनुच्छेद 105(3) और 194(3) से ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया; विशेषाधिकार आज भी असंहिताबद्ध हैं।
- एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा (सर्चलाइट मामला) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत विशेषाधिकार के सामने अनुच्छेद 19(1)(a) को झुकना पड़ता है।
- राजा राम पाल बनाम अध्यक्ष, लोक सभा (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने सदस्यों को निष्कासित करने की संसद की शक्ति को वैध ठहराया, परंतु कहा कि विशेषाधिकार का प्रयोग न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. दृष्टि — स्वतंत्रता और व्यवस्था: अनुत्तरित प्रश्न भय का माहौल बनाए रखता है — न्यायालय

	ने यह नहीं कहा कि विशेषाधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सामने झुकना होगा, इसलिए सर्वलाइट का निर्णय आज भी बाध्यकारी है। कोई सदन अब भी तीखी आलोचना को अवमानना मान सकता है और उसके लेखक को तलब कर सकता है। संयम उचित था, क्योंकि मृत विवाद पर कानून नहीं गढ़ा जाना चाहिए; पर इसकी कीमत उन पत्रकारों और व्यंग्यकारों को चुकानी पड़ती है जो आज विशेषाधिकार प्रस्तावों का सामना कर रहे हैं। 2. मामले को कठिन प्रश्न ने नहीं, एक गुम अभिलेख ने जीवित रखा — वापसी 2004 में हुई थी, फिर भी न्यायालय को इसका पता सुनवाई की पूर्व-संध्या पर चला। लंबित मामलों का दोष प्रायः कठिन कानून पर डाला जाता है; यहाँ अप्रमाणित तथ्य ने नुकसान किया। पक्षकार को ऐसे परिवर्तनों की सूचना देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। 3. प्रस्ताव वापस लेना उसका बचाव करने से सस्ता पड़ता है — अपना प्रस्ताव वापस लेकर विधानसभा ने ऐसे निर्णय से बचाव कर लिया जो उसकी शक्ति को सीमित कर सकता था। इस तरह कोई सदन विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है, चुनौती मिलने पर पीछे हट सकता है और शक्ति को अक्षुण्ण रख सकता है। प्रतिपक्ष का तर्क यह है: संस्थाएँ झगड़े आपसी समझौते से ही सुलझाती हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“विशेषाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न को खुला छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय ने विधायिकाओं को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना रहने दिया है।” आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — न्यायिक संयम को अपरिभाषित विशेषाधिकार के सामने तौलिए; अंत में अपना निर्णय दीजिए। 2. भूमिका — 23 वर्ष पुराना संदर्भ आधे घंटे से कम में बंद — 6 अक्टूबर का आदेश और अनुच्छेद 194(3)। 3. संयम उचित था: मृत विवाद पर कानून नहीं बनता — मूल्यवर्धन: राजा राम पाल (2007) पहले ही विशेषाधिकार की न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है। 4. असंहिताबद्ध विशेषाधिकार सदन को अपनी ही अवमानना पर दंड देने देता है — फ़्लो-चार्ट: आलोचना → विशेषाधिकार प्रस्ताव → सदन द्वारा भंग का निष्कर्ष → दंड → सीमित समीक्षा। 5. निष्कर्ष — विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध कीजिए, और उन्हें सदन के कार्य की रक्षा तक सीमित रखिए — एक पंक्ति।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप किसी राज्य विधानसभा के सचिव हैं और एक आलोचनात्मक रिपोर्ट को लेकर एक पत्रकार के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव आपके पास आया है। आप अध्यक्ष को क्या सलाह देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं यह देखूँगा कि रिपोर्ट ने सदन के कार्य में बाधा डाली या केवल आलोचना की, और याद रखूँगा कि तमिलनाडु के 2003 के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। मैं सलाह दूँगा कि पत्रकार की बात सुनी जाए और स्पष्टीकरण के साथ मामला बंद कर दिया जाए, तथा दंड केवल वास्तविक बाधा के लिए रखा जाए।

1.2 I&B द्वारा 13 अधिसूचनाएँ लटकाने से प्रेस परिषद एक वर्ष से आधी संख्या पर

मुद्दा Press freedom and media regulation (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (Press Council Act, 1978) के अंतर्गत गठित भारतीय प्रेस परिषद समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों की वैधानिक स्व-नियामक संस्था है। इसका 14वाँ कार्यकाल अक्टूबर 2024 में समाप्त हुआ।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। 'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद (PCI) लगभग एक वर्ष से अपनी स्वीकृत संख्या के आधे पर काम कर रही है, और उसमें एक भी कार्यरत पत्रकार या समाचार-पत्र संपादक नहीं है। 28 में से केवल 14 सदस्य हैं: पाँच सांसद, तीन मनोनीत सदस्य और समाचार-पत्र मालिकों एवं प्रबंधन के छह सदस्य, अध्यक्ष के अतिरिक्त। जो 13 पद रिक्त हैं, वे छह संपादकों और सात कार्यरत पत्रकारों के हैं, जिन्हें PCI ने दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच धारा 5(3)(a) के अंतर्गत नामित किया था। धारा 5(5) के अनुसार नामांकन तभी प्रभावी होता है जब केंद्र सरकार उसे राजपत्र में अधिसूचित करे। PCI ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 25 मई, 2 जुलाई और 9 सितंबर को पत्र लिखे; मंत्रालय का कहना है कि अधिसूचना “अंतिम चरण” में है। अध्यक्ष का पद भी लगभग चार महीने खाली रहा, जब तक अप्रैल में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को पुनः नियुक्त नहीं किया गया।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

14वीं परिषद का कार्यकाल अक्टूबर 2024 में समाप्त होता है → PCI दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच 13 संपादकों और पत्रकारों को नामित करती है → तीन अनुस्मारकों के बावजूद राजपत्र में अधिसूचना नहीं आती → परिषद की जून में अंतिम बैठक होती है, जिसमें कोई पत्रकार सदस्य नहीं है → मंत्रालय कहता है कि अधिसूचना अंतिम चरण में है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. प्रेस परिषद एक वैधानिक, अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो केवल मुद्रित माध्यम के लिए है — प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 एक अध्यक्ष और तीन वर्ष के कार्यकाल वाले 28 सदस्यों की परिषद बनाता है, जिसे धारा 13 के अंतर्गत “प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने” और समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानक सुधारने का दायित्व सौंपा गया है। धारा 14 के अंतर्गत जाँच के बाद वह चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना कर सकती है या निंदा कर सकती है, और उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रसारण और डिजिटल माध्यम इसके दायरे से बाहर हैं। 2. प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) में पढ़ा जाता है — संविधान प्रेस का नाम नहीं लेता। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है, जिसमें प्रेस भी आता है। प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के भीतर ही होने चाहिए, इसीलिए 1978 का अधिनियम लाइसेंस के बजाय समकक्षों की निंदा पर निर्भर है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. रिक्तियों से खोखले हुए नियामक शासन का एक प्रमुख विषय हैं — GS2 में “सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय” शामिल हैं; कार्यपालिका की देरी के कारण पूरी तरह गठित न हो पाया निकाय यह परखता है कि वैधानिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● PCI में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं: छह संपादक और सात अन्य कार्यरत पत्रकार, छह समाचार-पत्र मालिक या प्रबंधक, समाचार एजेंसियों से एक, UGC, भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) और साहित्य अकादमी के तीन मनोनीत सदस्य, तथा पाँच सांसद। ● प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अंतर्गत परिषद चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना कर सकती है या निंदा कर सकती है, और उसके निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ● PCI के अध्यक्ष को राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष और परिषद के सदस्यों द्वारा चुने गए एक व्यक्ति की समिति मनोनीत करती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — स्वतंत्रता और जवाबदेही: लंबित हस्ताक्षर वीटो बन गया है — अधिनियम पत्रकार सदस्यों को चुनने का अधिकार पेश को देता है; धारा 5(5) के अंतर्गत मंत्रालय की भूमिका केवल नाम प्रकाशित करने की है। दस महीने तक इस औपचारिक कदम को रोक रखना कार्यपालिका को वह वीटो दे देता है जो कानून ने उसे कभी नहीं दिया। विवेकशील अधिकारी अधिसूचना को समय-सीमा वाला कर्तव्य मानेगा, विवेकाधिकार नहीं। 2. जिनका नियमन होना है, उनके बिना स्व-नियमन अपना दावा खो देता है — निंदा इसीलिए कारगर होती है कि वह समकक्षों की ओर से आती है। जिस परिषद में कोई संपादक या संवाददाता न हो, वह प्रेस के आचरण पर निर्णय देती है तो उसके पास वह अधिकार नहीं रहता, और उसके आदेशों को चुनौती मिल सकती है। इस तरह देरी संरक्षण और जवाबदेही, दोनों को कमजोर करती है। 3. समाधान कानून में समय-सीमा है — अध्यक्ष का पद चार महीने और सदस्यों के पद एक वर्ष खाली रहे, क्योंकि समय पर कार्रवाई के लिए कुछ बाध्य नहीं करता। एक निश्चित अवधि के बाद ‘मानी गई अधिसूचना’ का प्रावधान देरी के प्रलोभन को समाप्त कर देगा। नामितों का सत्यापन आवश्यक हो सकता है, पर दस महीने तक नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	नियुक्तियों में कार्यपालिका की देरी, कानून में बिना कोई बदलाव किए, किसी स्व-नियामक निकाय को निष्क्रिय कर सकती है। भारतीय प्रेस परिषद के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — कथन को PCI की संरचना और उसकी वर्तमान स्थिति की कसौटी पर परखिए। 2. भूमिका — 28 में से 14 सदस्य, और एक वर्ष से कोई पत्रकार नहीं — 1978 के अधिनियम पर एक पंक्ति। 3. धारा 5(5) की औपचारिकता वीटो बन गई है — मूल्यवर्धन: PCI के तीन अनुस्मारक। चित्र बनाइए: PCI नामित करती है → मंत्रालय अधिसूचित करता है → राजपत्र, और अटकने का बिंदु चिह्नित कीजिए। 4. निंदा के लिए समकक्ष चाहिए — प्रेस की सुरक्षा और जवाबदेही, दोनों को हानि होती है। 5. निष्कर्ष — निश्चित अवधि के बाद ‘मानी गई अधिसूचना’ — एक पंक्ति।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं	प्रश्न 1. आप I&B मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और पाते हैं कि PCI की अधिसूचना की फ़ाइल

दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

महीनों से अटकी है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पता लगाऊंगा कि क्या लंबित है, सत्यापन या अनुमोदन, और हर एक के लिए तिथि तय करूंगा। अधिनियम मंत्रालय को नामों के चयन का कोई विकल्प नहीं देता, इसलिए एकमात्र वैध जाँच प्रक्रिया-संबंधी है। यदि किसी एक नामित व्यक्ति पर आपत्ति उठती है, तो मैं शेष बारह को अभी अधिसूचित कर दूंगा।

1.3 ED ने भर्ती घोटाले में निलंबित कर्नाटक PSC अध्यक्ष और एक सदस्य को गिरफ्तार किया

सूदा भर्ती परीक्षाएँ और पेपर लीक (कड़ी 5) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • विधि का शासन और विवेकाधिकार

अब तक की कहानी कर्नाटक PSC के अध्यक्ष को अगस्त में निलंबित किया गया था और उच्च न्यायालय ने PSC को “संवैधानिक प्रहरी” कहते हुए नए SIT जाँच का आदेश दिया। NEET-UG 2026 के पेपर लीक ने सर्वोच्च न्यायालय को NTA में सुधार की बात कहने पर प्रेरित किया।

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु, 6 अक्टूबर। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के निलंबित अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहुकार और सदस्य बी.वी. गीता को पशु-चिकित्सा अधिकारियों के 400 पदों की भर्ती से जुड़ी धन-शोधन जाँच में गिरफ्तार किया। राज्य पुलिस ने साहुकार को गिरफ्तार नहीं किया था, जिन्हें राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 25 अगस्त को निलंबित किया था। ये गिरफ्तारियाँ गिरफ्तार IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार, जो मार्च 2026 तक KPSC के परीक्षा नियंत्रक थे, और बिचौलिए बसवराज कन्नाले के बयानों के बाद हुईं। आरोप है कि गंगवार ने लगभग 20 अभ्यर्थियों को प्रश्न लीक किए, जिन्होंने ₹20 लाख से ₹40 लाख तक चुकाए। ED ने विशेष न्यायालय को बताया कि 4 फरवरी 2026 को 1:3 की योग्यता सूची (प्रति पद तीन अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट) आने के बाद “अभ्यर्थी के चयन की संभावना जितनी अधिक थी, माँगी गई रकम उतनी ही अधिक थी”। ये आरोप हैं; किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

साहुकार 2019 में KPSC के लिए चुने जाते हैं, 2023 के बाद भी बने रहते हैं → पशु-चिकित्सा अधिकारी परीक्षा कथित रूप से लीक होती है → परीक्षा नियंत्रक और एक बिचौलिया गिरफ्तार होते हैं → राज्यपाल 25 अगस्त को अध्यक्ष को निलंबित करते हैं → ED पैसे का पीछा करते हुए शीर्ष तक पहुँचता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 317 PSC सदस्यों को पद से हटाए जाने से बचाता है, गिरफ्तारी से नहीं — राज्य PSC के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है (अनुच्छेद 316), पर उन्हें कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, वह भी राष्ट्रपति के संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद। अनुच्छेद 317(2) के अंतर्गत जिस सदस्य के विरुद्ध ऐसा संदर्भ भेजा गया हो, उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के कार्रवाई करने तक निलंबित कर सकता है। आपराधिक जाँच पर कोई रोक नहीं है।
2. 2024 का पेपर-लीक विरोधी कानून केवल केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होता है — PRS के अनुसार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, NTA और केंद्रीय मंत्रालयों पर लागू होता है; अनुचित साधनों के लिए तीन से पाँच वर्ष की जेल और संगठित अपराध के लिए पाँच से दस वर्ष की जेल तथा कम-से-कम ₹1 करोड़ का जुर्माना है। राज्य PSC की परीक्षा इसके दायरे से बाहर है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. भर्ती करने वाले पर निगरानी कौन रखे, यह GS2 का स्थायी प्रश्न है — पाठ्यक्रम में “विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व” शामिल हैं; NEET और राज्य PSC में हुए लीक इसे सामयिक बनाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 317(2) के अंतर्गत राज्यपाल उस राज्य PSC सदस्य को निलंबित कर सकता है जिसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ भेजा गया हो, जब तक राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट पर आदेश पारित न कर दे।
- लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समाधेय है।
- धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money-laundering Act, 2002) के अंतर्गत धन-शोधन के लिए किसी अनुसूचित अपराध से प्राप्त अपराध की आय होनी चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई अपराध।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. दृष्टि — स्वतंत्रता और जवाबदेही: योग्यता की रक्षा के लिए बनी ढाल ने अध्यक्ष को बचाया — अनुच्छेद 317 हटाने की प्रक्रिया को कठिन इसलिए बनाता है कि कोई सरकार आयोग को धमका न सके। यहाँ उसी कवच ने एक अध्यक्ष को, धोखाधड़ी की कई शिकायतों के बावजूद, दो सरकारों के पार टिके रहने दिया; कागज़ात यह नहीं बताते कि सर्वोच्च न्यायालय को कोई संदर्भ भेजा गया या नहीं। उत्तर कमज़ोर कार्यकाल नहीं, बल्कि जवाबदेही है: प्रकाशित अंक और

	समयबद्ध संदर्भ। 2. कमज़ोर कड़ी परिणामों पर विवेकाधिकार थी — ED के वृत्तांत के अनुसार, जब अधिकारियों को पता चल गया कि चयन के कितने निकट कौन है, तो योग्यता-सूची मूल्य-सूची बन गई। जहाँ भी कोई अधिकारी अभ्यर्थियों से पहले परिणाम देख सकता है और अंतिम चरण को प्रभावित कर सकता है, वहाँ योग्यता बिक सकती है। शॉर्टलिस्ट को अंकों के साथ तुरंत प्रकाशित करने से यह खिड़की बंद हो जाती है। 3. भर्ती कानून का काम धन-शोधन कानून कर रहा है — केंद्रीय पेपर-लीक विरोधी कानून की पहुँच से बाहर होने पर ED ने, आभूषणों पर कथित रूप से खर्च हुए ₹52 लाख का पता लगाते हुए, आयोग के शीर्ष तक पहुँच बना ली। यह काम करता है, पर PMLA के मुकदमे धीमे होते हैं और आलोचक ED को चयनात्मक कहते हैं। समर्पित अभियोजक वाला राज्य का पेपर-लीक विरोधी कानून कहीं स्वच्छ समाधान है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“लोक सेवा आयोगों को सरकारों से बचाने वाला कवच अभ्यर्थियों को आयोगों से नहीं बचा सका है।” क्या आप सहमत हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — क्या आप सहमत हैं — एक मत अपनाइए; दूसरे पक्ष की बात भी स्वीकार कीजिए। 2. भूमिका — अनुच्छेद 315 से 317 एक संरक्षित भर्ती-निकाय बनाते हैं — KPSC दिखाता है कि यह कैसे विफल हो सकता है। 3. हाँ: राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया पदधारकों को सुरक्षा देती है — एक अध्यक्ष दो सरकारों के पार टिका रहा। 4. पर लीक के बिंदु परीक्षा-प्रशासन में हैं — फ्लो-चार्ट: प्रश्न-पत्र → परीक्षा → मूल्यांकन → 1:3 सूची → साक्षात्कार → अंतिम सूची, और चिह्नित कीजिए कि विवेकाधिकार कहाँ प्रवेश करता है। मूल्यवर्धन: 2024 का अधिनियम राज्य परीक्षाओं को बाहर रखता है। 5. निष्कर्ष — कार्यकाल की सुरक्षा बनाए रखिए, पारदर्शिता जोड़िए — समयबद्ध संदर्भ, राज्यों के पेपर-लीक विरोधी कानून।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद आप एक राज्य PSC के सचिव हैं। अभ्यर्थी पशु-चिकित्सा अधिकारी चयन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं न तो पूरा चयन रद्द करूँगा, न उसकी पुष्टि करूँगा। मैं नियुक्तियाँ रोककर रखूँगा और जाँचकर्ताओं की सामग्री का उपयोग कर कथित भुगतानों से जुड़े अभ्यर्थियों को निर्दोष अभ्यर्थियों से अलग करूँगा। यदि यह संभव न हो, तो प्रकाशित समय-सारणी पर नई परीक्षा होगी, ताकि ईमानदार अभ्यर्थी दूसरों की धोखाधड़ी की कीमत न चुकाएँ।

1.4 उच्च न्यायालय का पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय की CBI जाँच का आदेश; पंजाब ने संघवाद की दुहाई दी

मुद्दा Central agencies and federalism (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी DSPE अधिनियम, 1946 (Delhi Special Police Establishment Act, 1946) के अंतर्गत CBI को किसी राज्य में जाँच के लिए उस राज्य की सहमति चाहिए, पर संवैधानिक न्यायालय उसे बिना सहमति के भी भेज सकते हैं। कई राज्यों ने दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सामान्य सहमति वापस ले ली है।

समाचार (THE NEWS) चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को मामला दर्ज करने का निर्देश देने के एक दिन बाद CBI ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर सिंह घुमन समेत छह लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया और मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय सहित आठ स्थानों पर तलाशी ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में पंजाब पुलिस को भेजे गए आरोपों में तबादलों और तैनातियों के लिए नकदी, नीतियों में हेरफेर और निविदाओं के लिए नकदी शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट उच्च न्यायालय ने दो महीने में रिपोर्ट माँगी है। पंजाब की विशेष अनुमति याचिका (ऐसी अपील जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति चाहिए) कहती है कि यह आदेश “संघवाद के बहुत बुनियादी सिद्धांतों” का उल्लंघन करता है; सर्वोच्च न्यायालय ने अभी केवल इसे सुनने पर सहमति दी है। श्री मान का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले एजेंसियों का “दुरुपयोग” हो रहा है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

ED, PMLA की धारा 66(2) के अंतर्गत, पंजाब के DGP को लिखता है → एक जनहित याचिका स्वतंत्र जाँच माँगती है → उच्च न्यायालय 5 अक्टूबर को CBI को लाने का आदेश देता है → CBI छह के विरुद्ध मामला दर्ज करती है और मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय की तलाशी लेती है → पंजाब सर्वोच्च न्यायालय पहुँचता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. CBI को राज्य की सहमति चाहिए, जब तक कोई संवैधानिक न्यायालय उसे न भेजे — CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कार्य करती है; धारा 5 केंद्र को उसे किसी राज्य तक बढ़ाने देती है, पर धारा 6 राज्य की सहमति आवश्यक बनाती है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति (CPDR, 2010) में संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत न्यायालय बिना सहमति के CBI जाँच का आदेश दे सकते हैं, पर विरल मामलों में ही। 2. पुलिस राज्य का विषय है; ED का सूचना साझा करने का कर्तव्य PMLA से आता है — “लोक व्यवस्था” और “पुलिस” राज्य सूची की प्रविष्टि 1 और 2 हैं। PMLA, 2002 की धारा 66(2) ED से अपेक्षा करती है कि वह अन्य अपराधों की जानकारी संबंधित एजेंसी को दे। ललिता कुमारी (2013) के अनुसार जब सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता हो, तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. केंद्रीय एजेंसियाँ वह जगह हैं जहाँ संघवाद और विधि के शासन का मिलन होता है — GS2 में “संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ” शामिल हैं; चुनाव की ओर बढ़ते राज्यों में न्यायालय-आदेशित जाँच दोनों की परीक्षा लेती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार CBI को किसी राज्य में कार्य करने के लिए उस राज्य सरकार की सहमति चाहिए। ● पश्चिम बंगाल राज्य बनाम CPDR (2010) में संविधान पीठ ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय राज्य की सहमति के बिना CBI जाँच का निर्देश दे सकते हैं। ● विजय मदनलाल चौधरी (2022) में न्यायालय ने PMLA के अंतर्गत ED की गिरफ्तारी, तलाशी और ज़ब्त की शक्तियों को वैध ठहराया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — केंद्र और राज्य: पंजाब की असली दलील सीमा-रेखा के बारे में है — CBI को केंद्र ने नहीं, उच्च न्यायालय ने भेजा है, जिसकी अनुमति CPDR देता है। पंजाब का अधिक मज़बूत तर्क यह है कि क्या ED के वे पत्र, जिन्हें वह प्रशासनिक मामले कहता है, राज्य पुलिस को दरकिनार करने का औचित्य थे। यदि हर ऐसा पत्र CBI मामले में बदल सकता है, तो राज्य सूची सिकुड़ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय को कसौटी स्पष्ट करनी चाहिए: विश्वसनीय सामग्री, पुलिस की सिद्ध विफलता, वास्तविक असाधारणता। 2. मुख्यमंत्री कार्यालय की जाँच करने वाली राज्य पुलिस हितों के टकराव में होती है — पंजाब पुलिस उसी सरकार के अधीन है जिसके अधिकारियों पर आरोप हैं, इसलिए बाहरी एजेंसी आवश्यक लगी। इसके विरुद्ध, चुनाव से पहले का समय इसे राजनीतिक बना देता है। दोनों बातें सच हो सकती हैं, इसलिए न्यायालय की निगरानी वाली दो महीने की समय-सीमा मायने रखती है। 3. धारा 66(2) पिछला दरवाज़ा बनने का जोखिम रखती है — इसका उद्देश्य उन तथ्यों को आगे भेजना था जो ED को मिलें; यहाँ उसके पत्र जनहित याचिका बने और फिर CBI मामला। यदि विजय मदनलाल के अनुसार पुलिस को केवल संज्ञेय अपराध पर कार्रवाई करनी है, जैसा पंजाब कहता है, तो यह तय कोई करेगा। न्यायालय व्यवहार में यह तय करेगा कि क्या ED जाँचकर्ता को चुन सकता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	न्यायालय द्वारा राज्य की सहमति के बिना आदेशित CBI जाँच पुलिस पर राज्यों के अधिकार को किस सीमा तक कमज़ोर करती है? (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — किस सीमा तक — अतिक्रमण को मापिए; सब कुछ या कुछ नहीं वाला उत्तर नहीं। 2. भूमिका — पुलिस राज्य का विषय है और धारा 6 में सहमति चाहिए — पंजाब का आदेश। 3. न्यायालय सहमति को लाँच सकते हैं, पर केवल असाधारण स्थिति में — मूल्यवर्धन: CPDR (2010)। चित्र बनाइए: ED का पत्र → राज्य पुलिस → जनहित याचिका → उच्च न्यायालय → CBI। 4. नियमित उपयोग राज्य सूची को खोखला कर देगा — फिर भी किसी सरकार का अपना कार्यालय अपवाद का सबसे मज़बूत मामला है। 5. निष्कर्ष — स्पष्ट न्यायिक कसौटी — एक पंक्ति।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S)	प्रश्न 1. आप किसी राज्य के DGP हैं और आपको ED का PMLA की धारा 66(2) के अंतर्गत पत्र मिलता है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप है। आप क्या करेंगे?

BRAINSTORM — Q & APPROACH)

दृष्टिकोण (Approach): यदि पत्र से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो ललिता कुमारी के अनुसार FIR आवश्यक है, भ्रष्टाचार के मामले में अधिकतम एक समयबद्ध प्रारंभिक जाँच के साथ। मैं इसे राजनीतिक कड़ी से बाहर किसी अधिकारी को सौंपूँगा और हर कदम दर्ज करूँगा। यदि स्वतंत्रता सुनिश्चित न हो सके, तो मैं बाहरी एजेंसी से जाँच कराने की सलाह दूँगा।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

मंगलवार को मंत्रिमंडल के दोनों निर्णय अर्थव्यवस्था के किसी एक हिस्से में धन डालने के बजाय उसके हिस्सों के बीच की खाई को पाटने के प्रयास हैं। परिवहन प्राधिकरण का उद्देश्य पाँच मंत्रालयों से एक नेटवर्क की तरह योजना बनवाना है, और SME कोष का उद्देश्य उन फर्मों को इक्विटी देना है जो सूक्ष्म योजनाओं के लिहाज़ से बड़ी और निजी इक्विटी के लिहाज़ से छोटी हैं। दोनों को इस आधार पर परखा जाएगा कि वे व्यवहार बदलते हैं या नहीं, इस आधार पर नहीं कि उनकी घोषणा कैसी रही।

2.1 मंत्रिमंडल ने रेल, सड़क, बंदरगाह और वायु-परिवहन की एक नेटवर्क के रूप में योजना बनाने के लिए ITLA को मंजूरी दी

मुद्दा Logistics and integrated transport planning (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी प्रधानमंत्री गति शक्ति (2021) ने बुनियादी ढाँचे की परिसंपत्तियों को एक डिजिटल मानचित्र पर ला दिया और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) ने लॉजिस्टिक्स लागत घटाने का लक्ष्य रखा, पर हर मंत्रालय अब भी अपने परिवहन माध्यम की योजना, मूल्यांकन और निर्माण स्वयं करता है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार, 6 अक्टूबर को एक विशेष प्रयोजन इकाई (SPV), एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (Integrated Transport & Logistics Authority — ITLA), को मंजूरी दी, जो अब कई मंत्रालयों में बँटी परिवहन परियोजनाओं की योजना बनाने, उनका मूल्यांकन करने और उनकी निगरानी करने वाला शीर्ष निकाय होगा। उसका केंद्रीय कार्य 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि की राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करना है, जिसके विरुद्ध मंत्रालयों की योजनाओं को जाँचा जाएगा ताकि क्षमता “माध्यम-दर-माध्यम नहीं, बहु-माध्यमी” बने। ITLA ₹500 करोड़ या उससे अधिक की केंद्रीय परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा, यानी उनकी इंजीनियरी और नेटवर्क-संगति की जाँच करेगा, जबकि वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा तंत्रों के पास ही रहेगा; वह ऐसी परियोजनाओं की निगरानी और पूरी होने के बाद उनका आकलन भी करेगा। राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार (National Transport Data Repository) GSTN के ई-वे बिल, फास्टैग (FASTag) और वाहन (Vahan) के आँकड़ों पर आधारित होगा। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह वाणिज्य मंत्रालय में स्थित होगा; मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब GDP 7% बढ़ती है, तो लॉजिस्टिक्स की माँग 10% बढ़ती है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

हर मंत्रालय अपने माध्यम की योजना स्वयं बनाता है → गति शक्ति सभी परिसंपत्तियों को एक मानचित्र पर लाती है, पर मूल्यांकन मंत्रालयों के पास ही छोड़ देती है → लॉजिस्टिक्स की माँग GDP से आगे निकल जाती है → ITLA एक मास्टर प्लान बनाता है और हर ₹500 करोड़ की परियोजना का उसके अनुरूप मूल्यांकन करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. पीएम गति शक्ति एक साझा मानचित्र है, जिसके पीछे समन्वय की मशीनरी भी है — अक्टूबर 2021 में शुरू पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan) एक GIS-आधारित मंच है, जिस पर मंत्रालय और राज्य अपना मौजूदा और प्रस्तावित बुनियादी ढाँचा दर्ज करते हैं। सचिवों का अधिकार-प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries) और मंत्रालयों के योजना-प्रमुखों का नेटवर्क योजना समूह (Network Planning Group) बड़ी परियोजनाओं की जाँच करते हैं; वाणिज्य मंत्रालय में DPIIT का लॉजिस्टिक्स प्रभाग इसका सचिवालयी कार्य संभालता है।
2. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 (National Logistics Policy, 2022) ने लागत और रैंकिंग के लक्ष्य तय किए — सितंबर 2022 में शुरू इस नीति का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत घटाना और 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत को शीर्ष 25 देशों में पहुँचाना है; इसके लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP) और राज्यों की LEADS रैंकिंग का उपयोग किया जाता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. बुनियादी ढाँचे की योजना GS3 का स्थायी विषय है — पाठ्यक्रम में “अवसंरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि” सूचीबद्ध है। ITLA उत्तर को “अधिक निर्माण” से हटाकर “नेटवर्क की योजना” की ओर ले जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (अक्टूबर 2021) एक GIS-आधारित मंच है; वाणिज्य मंत्रालय में DPIIT का लॉजिस्टिक्स प्रभाग इसकी नोडल इकाई है।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (सितंबर 2022) का लक्ष्य 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 में स्थान पाना है।
- ITLA एक विशेष प्रयोजन इकाई है जो ₹500 करोड़ और उससे अधिक की केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करती है; वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा तंत्रों के पास ही रहता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. धन से पहले तकनीकी मूल्यांकन सही क्रम है, पर तभी जब ITLA ‘ना’ कह सके — कोई राजमार्ग रेल-लाइन की नकल तो नहीं कर रहा, या किसी बंदरगाह के पास माल निकालने के

	लिए रेल-संपर्क है या नहीं, यह प्रश्न अब तक मंत्रालयों के बीच की खाली जगह में पड़ा रहता था। ITLA यह प्रश्न धन की प्रतिबद्धता से पहले पूछता है। यदि उसकी राय केवल परामर्शी रही, तो कोई ताकतवर मंत्रालय उसे लांघकर निकल जाएगा। 2. लेंस — स्वतंत्रता और जवाबदेही: एक मंत्रालय का निकाय पाँच अन्य मंत्रालयों का आकलन करेगा — ITLA वाणिज्य मंत्रालय में स्थित होकर रेलवे और राजमार्ग जैसे बड़े मंत्रालयों की परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा, जबकि नेटवर्क योजना समूह पहले से बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करता है। जोखिम यह है कि वह एक और परत बन जाए जो विवेक नहीं, महीने जोड़ती है। इसका उपाय है मंत्रिमंडल का दृढ़ आदेश, समय-सीमाएँ, मूल्यांकनों का प्रकाशन, और पुराने समीक्षा निकायों का इसी में विलय। 3. डेटा भंडार शायद मास्टर प्लान से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हो — ई-वे बिल बताते हैं कि माल कहाँ से चलता और कहाँ पहुँचता है; फास्टैग बताता है कि ट्रक किन मार्गों पर चलते हैं। दोनों मिलकर माल-हुलाई का वास्तविक प्रवाह उजागर करते हैं, जिससे क्षमता मंत्रालयों की पसंद के बजाय माल के पीछे चलती है। पर GST का डेटा कर-संबंधी है और वाहन-डेटा व्यक्तिगत, इसलिए उसे साझा करने के लिए कानूनी आधार और गोपनीयता-संरक्षण (अनामीकरण) चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	एकीकृत योजना निकाय प्रायः मंजूरीयों की एक और परत बन जाते हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण भारत की लॉजिस्टिक्स लागत घटा सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — लाभों को जोखिमों के सामने तौलिए और निर्णय दीजिए। 2. भूमिका — लॉजिस्टिक्स की माँग माध्यम-दर-माध्यम योजना से आगे निकल गई है — 6 अक्टूबर के निर्णय और 7% से 10% के आँकड़े का उल्लेख कीजिए। 3. एक मास्टर प्लान और नेटवर्क-मूल्यांकन अंतर-मंत्रालयी खाइयाँ पाटते हैं — मूल्य-वर्धन: नीति का शीर्ष-25 लक्ष्य। प्रवाह-चित्र: मास्टर प्लान → ITLA मूल्यांकन → वित्तीय मूल्यांकन → निगरानी → समीक्षा। 4. दोहराव और परामर्शी स्थिति असली जोखिम हैं — नेटवर्क योजना समूह से दोहराव, वाणिज्य मंत्रालय में स्थित होना, डेटा-गोपनीयता की सीमाएँ। 5. निष्कर्ष — एक बाध्यकारी, समयबद्ध क्रम — ITLA लागत तभी घटाएगा जब वह एक और परत जोड़ने के बजाय मौजूदा परतों की जगह ले।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप किसी परिवहन मंत्रालय के सचिव हैं। ITLA कहता है कि आपकी ₹2,000 करोड़ की परियोजना एक रेल गलियारे की नकल है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं मूल्यांकन को लाँघने के लिए पैरवी नहीं करूँगा; मैं ITLA के यातायात-आँकड़ों को अपने आँकड़ों से परखूँगा। यदि दोहराव वास्तविक है, तो मैं परियोजना को इस तरह नया रूप दूँगा कि वह गलियारे को माल पहुँचाए; यदि हमारे आँकड़े बेहतर हैं, तो मैं उन्हें अभिलेख में रखूँगा ताकि निर्णय प्रमाण से हो।

2.2 बढ़ते विनिर्माताओं को धैर्यवान इक्विटी देने के लिए ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड

मुद्दा कारखाने, रोज़गार और औपचारिक विनिर्माण (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य • विकास और समता

अब तक की कहानी मेक इन इंडिया और PLI के बावजूद विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 15% पर अटका है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पंजीकृत कारखानों का GVA 9.6% बढ़ा, पर निवेशित पूँजी 11.1% बढ़ी और प्रति श्रमिक मज़दूरी केवल 5.3%।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार, 6 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें बजट 2026-27 में घोषित लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) ग्रोथ फंड के लिए ₹10,000 करोड़ देने की प्रतिबद्धता है। यह राशि एक वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund — AIF) में कुल प्रतिबद्धता है, जो SEBI के पास पंजीकृत ऐसा पुल है जो कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदता है। सरकार ने कहा कि मौजूदा कोष अधिकतर आरंभिक चरण और सूक्ष्म उद्यमों को सहारा देते हैं, इसलिए “लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए इक्विटी ग्रोथ पूँजी की संरचनात्मक कमी है”। यह कोष “प्रदर्शित व्यावसायिक व्यवहार्यता और विस्तार-क्षमता” वाले SME को “धैर्यवान ग्रोथ इक्विटी पूँजी” देगा, यानी ऐसे निवेशकों से जो निश्चित भुगतान माँगने के बजाय वर्षों तक प्रतिफल की प्रतीक्षा करते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा लघु और मध्यम विनिर्माताओं को जाएगा, जिनमें टियर-II और टियर-III क्लस्टर भी शामिल हैं। इंडिया SME फ़ोरम ने कहा कि ऐसी फ़र्म ऋण पर अत्यधिक निर्भर हैं। किसी फंड मैनेजर का नाम अभी घोषित नहीं हुआ है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

छोटी फ़र्मों ऋण और प्रवर्तकों की बचत के सहारे बढ़ती हैं → इक्विटी कोष स्टार्ट-अप और सूक्ष्म फ़र्मों को सहारा देते हैं → विकास-चरण के विनिर्माता ऋण-भारी और छोटे बने रहते हैं → सरकार सिद्ध SME में हिस्सेदारी खरीदने के लिए AIF को आधार-पूजी देती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. MSME का वर्गीकरण निवेश और कारोबार के संयुक्त मानदंडों पर होता है — MSMED अधिनियम, 2006 (MSMED Act, 2006) के अंतर्गत जुलाई 2020 से संशोधित वर्गीकरण संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा वार्षिक कारोबार को एक साथ लेता है, और विनिर्माण तथा सेवाओं के लिए सीमाएँ समान हैं; 2025 में इन सीमाओं को फिर बढ़ाया गया। फ़र्में उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराती हैं। 2. AIF SEBI द्वारा विनियमित हैं, और राज्य पहले से उनके ज़रिये निवेश करता है — SEBI (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 [SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012] श्रेणी I (वेंचर कैपिटल, SME, सामाजिक कोष), श्रेणी II (प्राइवेट इक्विटी, ऋण) और श्रेणी III (उत्तोलित कोष) बनाते हैं। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ़ फंड्स (2016), जो SIDBI द्वारा प्रबंधित ₹10,000 करोड़ का कोष है, AIF में निवेश करता है, फ़र्मों में सीधे नहीं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. 'लुप्त मध्यम' (Missing Middle) वित्त को रोज़गार से जोड़ता है — GS3 में "संसाधनों का संग्रहण, वृद्धि, विकास और रोज़गार" शामिल है। भारतीय फ़र्में छोटी क्यों रह जाती हैं, इस प्रश्न के लिए वित्त-पक्ष का यह उत्तर चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● SEBI (AIF) विनियम, 2012 के अंतर्गत SME कोष और वेंचर कैपिटल कोष श्रेणी I के AIF हैं। ● स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ़ फंड्स (2016) का प्रबंधन SIDBI करता है और वह SEBI-पंजीकृत AIF में निवेश करता है, स्टार्टअप्स में सीधे नहीं। ● जुलाई 2020 से MSME का वर्गीकरण निवेश और कारोबार के संयुक्त मानदंडों पर होता है, जो विनिर्माण और सेवाओं के लिए एक समान हैं। ● आत्मनिर्भर भारत कोष (2020) MSME इक्विटी के लिए ₹50,000 करोड़ का फंड ऑफ़ फंड्स है, जिसमें ₹10,000 करोड़ सरकार का है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. इक्विटी वह समस्या सुलझाती है जो और अधिक ऋण नहीं सुलझा सकता — क्षमता बढ़ाने वाले विनिर्माता को ऋण की किस्तें तुरंत चुकानी पड़ती हैं, जबकि नई लाइन को कमाई शुरू करने में वर्षों लग सकते हैं। ऋण वृद्धि को उतने पर ही रोक देता है जितना मौजूदा नकदी-प्रवाह संभाल सके। इक्विटी जोखिम बाँटती है और प्रतीक्षा करती है। ऋण-गारंटी ने उधार का दायरा तो बढ़ाया, पर पतली इक्विटी पर और ऋण चढ़ाने से फ़र्में बड़ी नहीं, नाजुक बनती हैं। 2. लेंस — बाज़ार और राज्य: वास्तविक बाज़ार-विफलता, जिसका बेहतर उत्तर स्वामी नहीं, आधार-निवेशक बनना है — प्राइवेट इक्विटी मध्यम आकार के विनिर्माताओं से इसलिए बचती है कि सौदे छोटे होते हैं, खातों की जाँच महँगी पड़ती है और निकासी अनिश्चित होती है: यह लेन-देन लागत की विफलता है, अच्छी फ़र्मों की कमी नहीं। सार्वजनिक धन संस्थागत निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। पर फ़र्मों का चयन किसी पेशेवर प्रबंधक को व्यावसायिक आधार पर करना होगा, वरना यह किसी और नाम से दी जा रही सब्सिडी बन जाएगा। 3. आकार और निकासी तय करेंगे कि परिणाम क्या होगा — अनेक फ़र्मों में बाँटने पर ₹10,000 करोड़ मामूली है, और आत्मनिर्भर भारत कोष ने 2020 में MSME इक्विटी का वादा किया ही था। निवेशक तभी लौटते हैं जब वे हिस्सेदारी बेच सकें, SME लिस्टिंग या अधिग्रहण के माध्यम से। नियंत्रण साझा करने से कतराने वाले पारिवारिक प्रवर्तकों के कारण माँग उतनी न भी निकले जितनी कमी देखकर लगती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	SME ग्रोथ फंड के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि भारत में विकास-चरण के लघु और मध्यम विनिर्माताओं के लिए इक्विटी जुटाना कठिन क्यों है। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — स्पष्ट कीजिए — एक ही कमी, यानी इक्विटी, के कारण साफ़-साफ़ बताइए। 2. भूमिका — 'लुप्त मध्यम' फ़र्मों के पास ग्रोथ पूँजी नहीं है — ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता और "सरचनात्मक कमी" का उल्लेख कीजिए। 3. कोष स्टार्ट-अप के पीछे भागते हैं; बैंक संपार्श्विक के आधार पर उधार देते हैं — मूल्य-वर्धन: AIF के ज़रिये निवेश करने वाला फंड ऑफ़ फंड्स फ़ॉर स्टार्टअप्स का मॉडल। 4. छोटे सौदे, महँगी जाँच और अनिश्चित निकासी निवेशकों को रोकती हैं — फ़र्म के आकार के अनुसार उपलब्ध वित्त का चार्ट बनाइए, जो बीच में गिरता दिखे।

	5. निष्कर्ष — आधार-पूँजी, पेशेवर प्रबंधन — इसे इस पर परखिए कि कितना निजी धन आकर्षित हुआ और कितनी निकासियाँ हुई।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप टियर-II क्लस्टर के ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हैं। फ़र्मों को इस कोष का उपयोग करने में आप कैसे मदद करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): कोई भी निवेशक अंकेक्षित खातों के बिना हिस्सेदारी नहीं खरीदता, और अधिकांश क्लस्टर-फ़र्म अनौपचारिक लेखा रखती हैं। मैं लेखाकारों और उद्योग संघ के साथ शिविर लगाऊँगा, जिनमें शासन-व्यवस्था और निवेशकों की अपेक्षाएँ समझाई जाएँगी, और फिर स्थिर ऑर्डर तथा निर्यात-क्षमता वाली फ़र्मों को कोष के सामने संभावित सौदों की सूची के रूप में रखूँगा। सफलता सौदे पूरे होने में है, फ़ाइलें आगे बढ़ाने में नहीं।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

सूखे की घोषणा पहले कागज़ पर होती है, राहत खेत तक बाद में पहुँचती है, और उस कागज़ पर लिखी तारीख का बड़ा महत्त्व है। आंध्र प्रदेश ने समय-सीमा से एक महीने पहले ही घोषणा कर दी, जो सही प्रवृत्ति है; पर कठिन प्रश्न दो हैं: क्या संकेतकों ने रेखा निष्पक्ष ढंग से खींची, और क्या नदी जोड़ने का वादा सूखा-रोधन के धीमे, पर ज़रूरी काम की जगह ले रहा है।

3.1 आंध्र प्रदेश ने समय-सीमा से एक महीने पहले 688 में से 388 मंडलों में सूखा घोषित किया

सूदा सूखा और रबी मौसम की तैयारी (कडी 6) **दृष्टि (Lens)** तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार • केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी अल नीनो के प्रबल होने के साथ मानसून सामान्य से 12.6% कम रहकर समाप्त हुआ, और महाराष्ट्र ने 26 सितंबर को 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया। राज्य सूखे की घोषणा केंद्र के मैनुअल के अनुसार करते हैं।

समाचार (THE NEWS) आंध्र प्रदेश। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, राजस्व (आपदा प्रबंधन) विभाग द्वारा 1 अक्टूबर को जारी आदेश में राज्य के 688 मंडलों (ब्लॉक जैसी उप-ज़िला इकाइयाँ) में से 388 को, जो 26 में से 21 ज़िलों में हैं, खरीफ़ 2026 के लिए सूखा-प्रभावित घोषित किया गया है: 283 “गंभीर” और 105 “मध्यम”। सूखे पर उच्च-स्तरीय समिति ने 30 सितंबर को सलाह दी थी कि 31 अक्टूबर की समय-सीमा की प्रतीक्षा न की जाए। जून-अगस्त में वर्षा 197.6 मिमी रही, जबकि सामान्य वर्षा 424.3 मिमी है, यानी 53.4% की कमी, जो “प्रचलित अल नीनो स्थितियों से और बढ़ गई” — अल नीनो प्रशांत महासागर के गर्म होने की वह घटना है जो प्रायः मानसून को कमज़ोर करती है। आदेश सूखा प्रबंधन मैनुअल, 2016 (Manual for Drought Management, 2016) का अनुसरण करता है। YSRCP का कहना है कि सरकार ने देर की, नेल्लोर को गलत ढंग से छोड़ दिया, और 388 में से 186 मंडल रायलसीमा में हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 5 अक्टूबर को कहा कि 2,000 TMC (हज़ार मिलियन घन फुट) नदी-जल समुद्र में बह जाता है और गोदावरी-कावेरी को जोड़ने से दक्षिणी राज्य सूखा-मुक्त हो सकते हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अल नीनो जून-अगस्त की वर्षा को कमज़ोर करता है → खरीफ़ की फ़सलें विफल होती हैं → समिति जल्दी निर्णय लेने की सलाह देती है → 1 अक्टूबर को 388 मंडल घोषित होते हैं → रबी की बुवाई से पहले राहत

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	- सूखा प्रबंधन मैनुअल दो चरणों वाली, संकेतक-आधारित कसौटी तय करता है — केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 2016 में जारी और 2020 में अद्यतन इस मैनुअल में वर्षा संकेतक (विचलन, मानकीकृत वर्षण सूचकांक या शुष्क अवधि) को अनिवार्य प्रारंभिक कसौटी बनाया गया है। इसके बाद प्रभाव संकेतक (बुवाई क्षेत्र, NDVI वनस्पति सूचकांक, मृदा नमी, जल-विज्ञान संबंधी आँकड़े) सूखे को गंभीर या मध्यम श्रेणी में रखते हैं, और फिर ज़मीनी सत्यापन होता है। राज्य इसे अधिसूचित करते हैं, खरीफ़ के लिए सामान्यतः 31 अक्टूबर तक। - राहत का धन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के ज़रिये आता है — धारा 48 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) की और धारा 46 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) की रचना करती है। सूखा-राहत का भुगतान पहले SDRF से होता है, जिसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए तीन-चौथाई धन केंद्र देता है। गंभीर सूखे में राज्य NDRF से सहायता मांगता है, और अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल उसका आकलन करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	सूखा वहाँ आता है जहाँ कृषि और आपदा प्रबंधन मिलते हैं — GS3 के पाठ्यक्रम में “आपदा और आपदा प्रबंधन” तथा सिंचाई प्रणालियाँ शामिल हैं। दो राज्यों द्वारा पखवाड़े भर में सूखा घोषित करने से यह प्रक्रिया परीक्षा की दृष्टि से तैयार विषय बन जाती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- सूखा प्रबंधन मैनुअल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जारी करता है; सूखा घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार का है। - मैनुअल के अनुसार वर्षा संकेतक अनिवार्य पहली कसौटी है; NDVI और मृदा नमी जैसे प्रभाव संकेतक सूखे की गंभीरता का निर्धारण करते हैं। - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 NDRF का और धारा 48 SDRF का प्रावधान करती है। - गोदावरी-कावेरी लिंक नदी जोड़ो हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980) के प्रायद्वीपीय घटक का हिस्सा है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	- संकट कितना कर्ज़ में बदलेगा, यह राशि से नहीं, समय से तय होता है — घोषणा से इनपुट सब्सिडी, ऋण-पुनर्निर्धारण और चारा-कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए अक्टूबर में लिया गया निर्णय किसानों तक रबी की बुवाई के लिए उधार लेने से पहले पहुँचता है। विपक्ष का कहना है कि सितंबर के आरंभ में ही सूखा दिख रहा था, पर मैनुअल के जून-अगस्त के आँकड़े और ज़मीनी सत्यापन यह तय कर देते हैं कि टोस निर्णय कितना जल्दी लिया जा सकता है। - लेंस — अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: नदी-जोड़ किसी और दशक का उत्तर है

	— गोदावरी-कावेरी लिंक के लिए सभी तटवर्ती राज्यों की सहमति, पर्यावरणीय मंजूरियाँ और भारी धन चाहिए, और इस वर्ष वह एक बूँद पानी भी नहीं पहुँचाएगा। वृष्टि-छाया क्षेत्र रायलसीमा में जलग्रहण (वाटरशेड) कार्य, पुनर्भरण और कम पानी माँगने वाली फ़सलें ज्यादा तेज़ी से असर करती हैं। विवेकपूर्ण निष्कर्ष यही है: अभी राहत दी जाए, लिंक को दीर्घकालिक विकल्प के रूप में परखा जाए, पर उसे सूखा-रोधन की जगह प्रस्तुत न किया जाए। 3. मंडलों के बीच रेखा खींचना तकनीकी भी है, राजनीतिक भी — घोषणा के साथ धन आता है, इसलिए बहिष्करण, जैसा नेल्सोर के बारे में आरोप है, असंतोष पैदा करता है। संकेतक राज्य का बचाव तभी कर पाते हैं जब मंडलवार आँकड़े प्रकाशित हों। संघीय दृष्टि से, घोषणा राज्य करता है जबकि गंभीर सूखे के लिए अतिरिक्त धन केंद्र देता है, इसलिए पारदर्शी और शीघ्र निर्णय आंध्र प्रदेश के NDRF संबंधी दावे को भी मज़बूत करता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	सूखे की समय पर घोषणा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राहत की मात्रा। सूखा प्रबंधन मैनुअल के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — चर्चा कीजिए — दिखाइए कि समय क्यों मायने रखता है, उसकी सीमाओं का परीक्षण कीजिए, फिर निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — आंध्र प्रदेश ने एक महीना पहले घोषणा की — 688 में से 388 मंडलों और 53.4% वर्षा-कमी का उल्लेख कीजिए। 3. शीघ्र घोषणा किसानों तक रबी के कर्ज से पहले पहुँचती है — समय-रेखा बनाइए: जून-अगस्त की वर्षा → घोषणा → राहत → रबी की बुवाई। 4. मैनुअल के संकेतक घोषणा को कृपा नहीं, कसौटी बनाते हैं — मूल्य-वर्धन: वर्षा-कसौटी, NDVI, ज़मीनी सत्यापन, पहले SDRF फिर NDRF। 5. निष्कर्ष — शीघ्र, आँकड़ों पर आधारित, और फिर सूखा-रोधन — त्वरित घोषणा को जलग्रहण और फ़सल-सुधार के साथ जोड़िए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक ऐसे ज़िले के कलेक्टर हैं जिसे कई मंडलों में कम वर्षा के बावजूद सूखा-सूची से बाहर रखा गया है। विरोध कर रहे किसानों को आप क्या उत्तर देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं मंडलवार वर्षा, बुवाई और मृदा-नमी के आँकड़े जुटाऊँगा और खेतों में जाकर फ़सल-हानि की जाँच कराऊँगा। यदि मैनुअल की कसौटी पूरी होती है, तो मैं राजस्व (आपदा प्रबंधन) विभाग को पुनर्मूल्यांकन के लिए तर्कपूर्ण प्रस्ताव भेजूँगा, और इस बीच पेयजल तथा चारे की व्यवस्था करूँगा। यदि कसौटी पूरी नहीं होती, तो मैं आँकड़े सुलकर समझाऊँगा।

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

भारत पश्चिम एशिया या काला सागर के युद्धों में पक्षकार नहीं है, फिर भी इन युद्धों की चपेट में आए जहाजों पर घायलों में भारतीय नागरिक बार-बार मिल रहे हैं। दुनिया के व्यापारिक बेड़े में भारतीय नाविक बड़ी संख्या में काम करते हैं, और अधिकांश जहाज दूसरे देशों के झंडे तले चलते हैं; इसलिए उनकी रक्षा नौसैनिक शक्ति या कानून से ज्यादा कूटनीति की कसौटी है।

4.1 होर्मुज़ और काला सागर में हमलों से भारतीय चालक दल घायल; भारत नाविक-सुरक्षा की कूटनीति में अग्रणी

सूदा पश्चिम एशिया युद्ध: ईरान, सऊदी और हूती (कडी 8) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित - रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी अब तक की कहानी फरवरी में अमेरिकी-इजराइली हमलों से ईरान पर शुरू हुआ युद्ध सऊदी अरब और यमन तक फैल चुका है। होर्मुज़ बंद है, हूती विद्रोहियों के कब्जे में बाब-एल-मंदेब है, और यमन की सरकार ने 4 अक्टूबर को आक्रमण छेड़ दिया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। मंगलवार, 6 अक्टूबर को होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में पनामा के झंडे वाले टैंकर MT On Peace पर एक प्रक्षेप्य आकर गिरा। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार उसके 19 सदस्यीय चालक दल में 17 भारतीय हैं; 12 लोग घायल हुए, जिनमें 11 भारतीय थे; ओमान ने उन्हें निकालकर खसाब पहुंचाया। एक दिन पहले रूसी ड्रोन हमले में तुर्की के स्वामित्व वाला जहाज MV Royad Mammadov काला सागर में जल उठा, जिसमें दो विदेशी चालक दल सदस्य मारे गए; रिपोर्टें इस पर अलग-अलग हैं कि उसके तीन भारतीयों में से एक घायल हुआ या नहीं, जबकि रोमानिया में भारत के दूतावास का कहना है कि तीनों सुरक्षित हैं। दुनिया के लगभग 12% नाविक भारतीय हैं। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत से जुलाई तक कम-से-कम 29 हमलों में कम-से-कम नौ भारतीय नाविक मारे गए और सात घायल हुए; इनमें से केवल चार हमले भारतीय झंडे वाले जहाजों पर थे। सितंबर में भारत और लाइबेरिया ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जहाजरानी एवं नाविकों की सुरक्षा पर 25 देशों का मित्र समूह (Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers) शुरू किया।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

होर्मुज़ और काला सागर के आसपास के युद्ध व्यापारिक जहाजों को निशाना बना देते हैं → विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करने वाले भारतीय चालक दल हताहत होते हैं → भारत जुलाई से रूस और यूक्रेन से बात करता है और सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में एक समूह की सह-शुरुआत करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	- समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जहाज के लिए ध्वज राज्य को उत्तरदायी ठहराता है, चालक दल के देश को नहीं — समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 (UN Convention on the Law of the Sea — UNCLOS) के अंतर्गत खुले समुद्र में जहाज पर उसके ध्वज राज्य का अनन्य क्षेत्राधिकार होता है (अनुच्छेद 92), और जहाज पर सुरक्षा तथा श्रम की स्थितियाँ सुनिश्चित करना उसी का दायित्व है (अनुच्छेद 94)। भाग III होर्मुज़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से पारगमन मार्ग (transit passage) की गारंटी देता है। - समुद्री श्रम अभिसमय नाविकों के अधिकारों का घोषणापत्र है — अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2006 में अपनाया गया समुद्री श्रम अभिसमय (Maritime Labour Convention — MLC) वेतन, कार्य-घंटों, चिकित्सा देखभाल और स्वदेश वापसी के न्यूनतम मानक तय करता है। भारत ने इसका अनुसमर्थन 9 अक्टूबर 2015 को किया। जहाज की सुरक्षा और चालक दल का प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization) के अधीन आते हैं, जो लंदन में स्थित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	सामान्य अध्ययन-2 विदेश नीति को विदेशों में बसे भारतीयों से जोड़ता है — पाठ्यक्रम में “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, भारतीय प्रवासी” शामिल है। नाविक समुद्र पर बसा प्रवासी समुदाय ही है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- UNCLOS के अनुच्छेद 92 के अनुसार खुले समुद्र में जहाज पर उसके ध्वज राज्य का अनन्य क्षेत्राधिकार होता है। - समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 ILO का अभिसमय है; भारत ने 2015 में इसका अनुसमर्थन किया। - लंदन में मुख्यालय वाला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जहाज सुरक्षा पर SOLAS अभिसमय और नाविक प्रशिक्षण पर STCW अभिसमय का प्रशासन करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	- भारतीय चालक दल इसलिए असुरक्षित हैं कि वे दूसरे देशों के झंडे तले चलते हैं, और यही भारत की कार्रवाई की सीमा भी तय करता है — 29 हमलों में केवल चार भारतीय झंडे वाले जहाजों पर हुए। समुद्री कानून के अनुसार On Peace के लिए भारत नहीं, पनामा उत्तरदायी है, इसलिए भारत की भूमिका वाणिज्य-दूतावासीय सहायता तक सिमट जाती है, जैसे ओमान द्वारा निकासी। इसी कारण भारत की प्रतिक्रिया विधिक नहीं, कूटनीतिक है। - लेंस — राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा संसाधन: भारतीय चालक दल की रक्षा का अर्थ सबके लिए नौवहन की रक्षा करना है — विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को केवल भारतीयों पर नहीं,

	अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर आक्रमण बताया। नाविक देने वाले राज्य भारत को बड़े ध्वज-पंजीयक वाले लाइबेरिया के साथ जोड़ने से समुद्री उत्तरदायित्व के दोनों पक्ष एक साथ आ जाते हैं। विवेकशील अधिकारी मित्र समूह को केवल घोषणाओं की ओर नहीं, बल्कि हमलों की सूचना, निकासी और मुआवज़े के साझा नियमों की ओर ले जाएगा। 3. पक्ष न लेने से भारत दोनों हमलावर पक्षों से बात कर पाता है — भारतीय नाविक रूस और यूक्रेन, दोनों के हमलों के शिकार हुए हैं, और भारत दोनों से बात करता है। तटस्थता से पहुँच मिलती है; इसकी कीमत यह है कि वक्तव्यों में हमलावर का नाम शायद ही लिया जाता है, जिससे निवारण कमज़ोर पड़ता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारतीय नाविक उन युद्धों की कीमत तेज़ी से चुका रहे हैं जिनमें भारत पक्षकार नहीं है। उनकी सुरक्षा के लिए भारत के पास उपलब्ध विधिक और कूटनीतिक उपकरणों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — देखिए कि प्रत्येक उपकरण क्या दे सकता है, फिर निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — दुनिया के लगभग 12% नाविक भारतीय हैं — MT On Peace: 11 भारतीय घायल। 3. मुख्य भाग — कानून का बोझ ध्वज राज्यों पर है, इसलिए भारत की विधिक पहुँच सीमित है — मूल्य-वर्धन: 29 में से केवल चार हमले भारतीय झंडे वाले जहाज़ों पर हुए। 4. मुख्य भाग — गठबंधन कूटनीति इस खाई को भरती है — भारत-लाइबेरिया समूह; रूस और यूक्रेन से बातचीत। घटनाओं को दर्शाता नक्शा बनाइए। 5. निष्कर्ष — नियम-निर्माण के साथ भारतीय झंडे वाले बड़े बेड़े की ओर — सुरक्षा को संधियों, पंजीयन-व्यवस्थाओं और चालक दल के अनुबंधों में समाहित कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. जहाज़रानी महानिदेशक के रूप में, जिस दिन विदेशी झंडे वाले टैंकर पर 11 भारतीय नाविक घायल हों, उस दिन आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं मैनिंग एजेंसी और जहाज़ के मालिक से चालक दल की चिकित्सीय स्थिति की जानकारी लूँगा और उपचार तथा स्वदेश वापसी के लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम करूँगा। मैं मालिक को याद दिलाऊँगा कि MLC के तहत वेतन, चिकित्सा खर्च और स्वदेश वापसी उसके दायित्व हैं, और मैनिंग एजेंसियों को संघर्ष-क्षेत्र वाले मार्गों के बारे में सलाह दूँगा।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

सियांग घाटी में बाँध के सर्वेक्षण को लेकर विरोध अब झड़पों और सशस्त्र पुलिस की तैनाती तक पहुँच गया है। चीन की ऊपरी धारा पर बन रही मेडोग परियोजना के मुकाबले भारत में एक बड़े जलाशय का रणनीतिक तर्क वास्तविक है, लेकिन जिस परियोजना को सौ वर्ष चलना है, उसकी शुरुआत उन्हीं लोगों को दरकिनार करके नहीं हो सकती जिनकी ज़मीन उसमें डूबेगी।

5.1 सियांग बाँध सर्वेक्षण के विरोध-प्रदर्शन झड़पों में बदले; आदि युवा संगठन ने बलों की वापसी माँगी

सूदा अरुणाचल की बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ (कड़ी 3) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण : केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी : अरुणाचल मंत्रिमंडल ने स्थानीय प्रतिरोध के बावजूद सियांग अपर परियोजना का सर्वेक्षण आगे बढ़ाने के लिए एक अधिकार-संपन्न समिति गठित की थी; इसके बाद एक विशेषज्ञ पैनल ने 1,605 मेगावाट के सुबनसिरी अपर बाँध का समर्थन किया।

समाचार (THE NEWS) गुवाहाटी, 6 अक्टूबर। द हिंदू के अनुसार, ऑल आदि यूथ एसोसिएशन ने सरकार से माँग की है कि सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में कई दिनों की झड़पों के बाद तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस को वापस बुलाया जाए। संगठन का आरोप है कि इन्हें सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (किसी स्थल का पहला तकनीकी अध्ययन) और सर्वेक्षणों के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शनों को दबाने के लिए लगाया गया है। सचिव ओकुट ताकी ने सियांग क्षेत्र के “सैन्यीकरण” की निंदा की और कहा कि आदि समुदाय अपने विवाद के बांग जैसी पारंपरिक संस्थाओं के माध्यम से सुलझाता है। भाजपा सरकार के बहुमत-समर्थन के दावे का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के साथ हस्ताक्षरित ज्ञापन सभी 27 प्रभावित गाँवों की राय नहीं दर्शाते। NHPC की यह परियोजना कम-से-कम 11,000 मेगावाट की आँकी गई है; केंद्र और राज्य इसे यारलुंग त्सांगपो पर ऊपरी धारा में बन रहे चीन के 60,000 मेगावाट के मेडोग केंद्र का जवाब बताते हैं। सितंबर के बाद नया यह है : झड़पें और सशस्त्र तैनाती।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

चीन ऊपरी धारा पर 60,000 मेगावाट का मेडोग केंद्र बना रहा है → भारत जवाब में 11,000 मेगावाट से अधिक के सियांग बाँध को आगे बढ़ा रहा है → NHPC के सर्वेक्षण के लिए आदि गाँवों में प्रवेश ज़रूरी → कुछ गाँवों से ज्ञापन, अन्य से विरोध → झड़पें और बलों की वापसी की माँग

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. सियांग असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है, और उसके जल के बँटवारे की कोई संधि नहीं है — यारलुंग त्सांगपो अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में प्रवेश करती है और असम में दिबांग तथा लोहित से मिलकर ब्रह्मपुत्र (बांग्लादेश में जमुना) बन जाती है। भारत और चीन के बीच जल-बँटवारे की कोई संधि नहीं है; केवल विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (Expert Level Mechanism, 2006) और कुछ समझौता-ज्ञापन हैं, जिनके अंतर्गत चीन बाढ़ के मौसम में जलविज्ञान संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराता है। 2. सहमति और पारिस्थितिकी के हर कानूनी द्वार से पहले सर्वेक्षण आता है — वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act) और पर्यावरण मंत्रालय के 2009 के आदेश के अनुसार वन भूमि का अन्य उपयोग तभी हो सकता है जब अधिकारों का निपटारा हो जाए और ग्राम सभा सहमति दे; नियमगिरि निर्णय (2013) ने ग्राम सभा के मत को सर्वोपरि माना। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के तहत 50 मेगावाट या उससे बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ श्रेणी 'क' में आती हैं, जिनका आकलन जन-सुनवाई के बाद केंद्र स्तर पर होता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. हिमालयी बाँधों में पाठ्यक्रम की तीन पंक्तियाँ मिलती हैं — GS3 में “अवसंरचना: ऊर्जा” और “पर्यावरणीय प्रभाव आकलन” सूचीबद्ध हैं; GS2 में कमज़ोर वर्गों के संरक्षण का विषय है। चीन की ऊपरी धारा की परियोजनाएँ इसमें भारत-चीन संबंधों का आयाम जोड़ देती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारत और चीन के बीच जल-बँटवारे की कोई संधि नहीं है; दोनों विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (2006) और जलविज्ञान-आँकड़ों संबंधी समझौता-ज्ञापनों के सहारे काम करते हैं। ● पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार 50 मेगावाट या उससे अधिक की जलविद्युत परियोजनाएँ श्रेणी 'क' में आती हैं, जिनका आकलन केंद्र स्तर पर होता है। ● अनुच्छेद 371H अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व सौंपता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. कुछ परिवारों से हुए ज्ञापन 27 गाँवों की सहमति का स्थान नहीं ले सकते — आदि समाज में सहमति सामूहिक होती है और केबांग के माध्यम से व्यक्त की जाती है, इसलिए चुनिंदा परिवारों से हुए समझौते गाँवों को बाँटते हैं, विवाद सुलझाते नहीं। सशस्त्र पहर में किया गया सर्वेक्षण आँकड़ें तो दे देता है, पर वह उस भरोसे को खर्च कर देता है जिसकी परियोजना को दशकों तक ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी सर्वेक्षण के बिना कोई बाँध का मूल्यांकन नहीं कर सकता; इसलिए उसे ग्राम परिषदों के रास्ते चलाया जाए और निष्कर्ष पहले उनके साथ साझा किए जाएँ। 2. लेंस — विकास और पर्यावरण : बड़े भंडारण का रणनीतिक तर्क ही सबसे बड़ी स्थानीय क्रीमत का भी तर्क है — मेडोग से अचानक छोड़े गए पानी को सँभालने के लिए बड़ा जलाशय चाहिए:

	यानी आदि समुदाय की अधिक भूमि, वन और आवास डूबेंगे, और वह भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ 1950 के असम-तिब्बत भूकंप (तीव्रता 8.6) ने भूस्खलनों से नदियों का प्रवाह रोक दिया था। लाभ राष्ट्र को मिलता है; कीमत घाटी पीढ़ियों तक चुकाती है। एक विचारशील अधिकारी आकार बनाम डूब के इस समझौते को खुलकर सामने रखता और पहले छोटे डिज़ाइनों को परखता। 3. पाँचवीं और छठी अनुसूची के बाहर पारंपरिक परिषदें ही एकमात्र स्थानीय अंकुश हैं — अरुणाचल में कोई स्वायत्त ज़िला परिषद या पेसा (PESA) की ग्राम सभा नहीं है जो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, इच्छुक राज्य और गाँव के बीच खड़ी हो। केंद्रीय बलों की मौजूदगी से यह भी धुंधला हो जाता है कि चोटों की जवाबदेही किसकी है। केबांग और ग्राम सभा को औपचारिक भूमिका देने से सहमति एक प्रक्रिया बनेगी, कोई एहसान नहीं रहेगी।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	सामरिक औचित्य क्या प्रभावित आदि समुदायों की सहमति के बिना सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना को उचित ठहरा सकता है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — रणनीति को सहमति, पारिस्थितिकी और भूकंपीय जोखिम के सामने तौलिए; अंत में निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — सशस्त्र पहरे में बाँध का सर्वेक्षण — झडपें, 11,000 मेगावाट का आकार, मेडोग का तर्क। 3. मुख्य भाग — भंडारण मेडोग का उत्तर है, पर डूब को अधिकतम करता है — मूल्य-वर्धन: 1950 का असम-तिब्बत भूकंप। 4. मुख्य भाग — वैधता के लिए सामूहिक सहमति ज़रूरी है — 27 गाँव; वन अधिकार अधिनियम; नियमगिरि। प्रवाह-चित्र बनाइए: सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), EIA जन-सुनवाई, वन स्वीकृति, और दिखाइए कि सहमति किस बिंदु पर आती है। 5. निष्कर्ष — पहले सहमति, फिर आकार — सर्वेक्षण केबांग के माध्यम से हो; निष्कर्ष प्रकाशित किए जाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. सियांग ज़िले के उपायुक्त (Deputy Commissioner) के रूप में आप शांति कैसे बहाल करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं जिन गाँवों में झडपें हुई हैं वहाँ सर्वेक्षण रोक दूँगा और बलों को सुरक्षित दूरी पर तैयार रखूँगा, क्योंकि पुलिस किसी परियोजना का चेहरा नहीं बन सकती। मैं हर केबांग की बैठक NHPC के इंजीनियरों के साथ बुलाऊँगा ताकि वे समझाएँ कि सर्वेक्षण से क्या-क्या प्रतिबद्धताएँ जुड़ती हैं; आपत्तियाँ दर्ज करूँगा, और ज्ञापन पर हस्ताक्षर खुली ग्राम-बैठकों के बाद ही कराऊँगा।

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

भारत ने 2005 में प्रसार दर की गिनती के आधार पर कुष्ठ रोग पर विजय की घोषणा कर दी थी, जबकि उस आँकड़े की आड़ में बीमारी फैलती रही। आज के कार्यक्रम-आँकड़े बताते हैं कि मामलों की पहचान संक्रमण घटने से कहीं तेज़ी से बेहतर हो रही है; सही रास्ता यही है कि लक्ष्य कटोर बने रहें, उन्हें दोबारा खींचा न जाए।

6.1 कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित 300 के मुकाबले केवल 148 ज़िलों में कुष्ठ रोग का संचरण थमा

मुद्दा Leprosy and neglected diseases (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी भारत ने 2005 तक कुष्ठ रोग की प्रसार दर 10,000 की आबादी पर 1 से नीचे पहुँचा दी, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त घोषित किया; फिर भी नए मामले आते रहे।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की 2025-26 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए द हिंदू के एक संपादकीय के अनुसार, क्षेत्र-सत्यापन लंबित रहते हुए केवल 148 ज़िलों ने 'संचरण की समाप्ति' (अर्थात् कोई नया स्थानीय मामला नहीं) हासिल की है, जबकि अनुमान 300 ज़िलों का था। 2025-26 में कार्यकर्ताओं ने अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में 70 करोड़ से अधिक लोगों की जाँच की और 24,367 मामले पकड़े; आशा कार्यकर्ताओं ने लगभग 40 लाख संदिग्ध मामले चिह्नित किए, जिनमें से 48,027 की पुष्टि हुई। एकल-खुराक रिफ्रेम्पिसिन (एक निवारक खुराक) 16.9 लाख संभावित संपर्क-व्यक्तियों में से 91.1% तक पहुँची। फिर भी नए मामलों की दर अनुमान से 41% अधिक रही, बच्चों में 91.6% अधिक और ग्रेड-2 (दृश्यमान) विकलांगता की दर 34% अधिक रही। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र का हिस्सा असमान रूप से बड़ा है। सरकारी आँकड़े (PIB, 2025) के अनुसार 2024-25 में राष्ट्रीय प्रसार दर प्रति 10,000 पर 0.57 थी और नए मामलों में बच्चों का हिस्सा 4.68%।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बहु-औषधि चिकित्सा (MDT) से रजिस्टर पर रहने की अवधि घटी → 2005 तक प्रसार दर 10,000 पर 1 से नीचे और WHO ने उन्मूलन घोषित किया → निगरानी सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में समा गई → 2010 के दशक के आरंभ में विकलांगता फिर बढ़ी → जाँच अभियान और 2023-27 की योजना अब संचरण को लक्ष्य बनाती है, जो अब भी अनुमानों से पीछे है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. "सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन" का अर्थ कम प्रसार दर है, शून्य मामले नहीं — WHO इसे पंजीकृत प्रसार दर के प्रति 10,000 की आबादी पर 1 से कम होने के रूप में परिभाषित करता है। प्रसार दर इलाज करा रहे रोगियों की गिनती है, इसलिए चिकित्सा की अवधि छोटी होने से यह घटती है, भले संक्रमण फैलता रहे; नए मामले, बच्चों के मामले और विकलांगता के मामले कहीं सच्चे संकेतक हैं। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री (<i>Mycobacterium leprae</i>) से होता है। 2. 2023-27 की योजना संचरण को लक्ष्य बनाती है, और कानून ने एक पुराना कलंक हटा दिया है — PIB के एक दस्तावेज़ के अनुसार, कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना एवं रोडमैप 2023-27 का उद्देश्य 2030 तक संचरण को समाप्त करना है; स्वास्थ्य मंत्रालय के 2027 तक "शून्य संचरण" का लक्ष्य रखने की भी खबर है। 2025 में कुष्ठ रोग सभी स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए अधिसूचनीय रोग बना। वैयक्तिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Personal Laws (Amendment) Act) ने इसे तलाक़ के आधार के रूप में हटा दिया।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. उपेक्षित रोग GS2 की स्वास्थ्य संबंधी पंक्ति की कसौटी है — पाठ्यक्रम में "स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाएँ" का उल्लेख है; कुष्ठ रोग इसमें कलंक, बच्चों के मामले और क्षेत्रीय असमानता जोड़ता है, और प्रारंभिक परीक्षा में प्रसार दर बनाम नई घटना दर पर प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रहती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● कुष्ठ रोग के लिए WHO का 'सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन' का अर्थ है प्रति 10,000 पर 1 से कम प्रसार दर; भारत ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर 2005 में प्राप्त किया। ● कुष्ठ रोगियों के संपर्क में आए व्यक्तियों को संपर्क के बाद रोकथाम (post-exposure prophylaxis) के रूप में एकल-खुराक रिफ्रेम्पिसिन दी जाती है। ● वैयक्तिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने पाँच वैयक्तिक कानूनों के अंतर्गत कुष्ठ रोग को तलाक़ का आधार नहीं रहने दिया। ● WHO की वैश्विक कुष्ठ रणनीति 2021-2030 का शीर्षक है "Towards zero leprosy" (शून्य कुष्ठ की ओर)।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. अनुमान से अधिक मामले अंशतः बेहतर पहचान का नतीजा हैं और अंशतः अतीत का बिल — 70 करोड़ लोगों की जाँच से दर्ज घटनाएँ बढ़ना तय है, इसलिए 41% की इस बढ़त का एक हिस्सा छिपे हुए मामलों का सामने आना है। लेकिन दर से निदान की निशानी ग्रेड-2 विकलांगता भी अनुमान से ऊपर रही, यानी बहुत-से रोगी तंत्रिका क्षति के बाद ही इलाज तक पहुँच रहे हैं। पहचान संक्रमण घटने से तेज़ी से सुधर रही है।

	2. लेंस — अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: जीत की घोषणा जल्दी करना अभी सस्ता है, आगे महंगा पड़ता है — 2005 की घोषणा से धन और ध्यान दोनों मुक्त हुए, और कार्यक्रम ने अपनी निगरानी खो दी; इसका बिल बढ़ती विकलांगता के रूप में आया। आज पहचान की कसौटी ढीली करना या लक्ष्य संशोधित करना आँकड़ों को सजा देगा, और दो तारीखें — रिपोर्टों के अनुसार 2027 तथा PIB दस्तावेज़ में 2030 — लक्ष्य-स्तंभ को चुपचाप खिसकाना आसान बना देती हैं। एक विचारशील अधिकारी 300 ज़िलों का अनुमान बनाए रखेगा और 'संचरण की समाप्ति' का स्वतंत्र सत्यापन कराएगा। 3. कुष्ठ रोग रहने की जगह का रोग है, इसलिए समानता का अर्थ असमान खर्च है — प्रति 10,000 पर 0.57 की राष्ट्रीय दर चार राज्यों के स्थानिक क्षेत्रों को छिपा देती है, जहाँ गरीबी, भीड़ और कलंक इलाज में देरी कराते हैं और डॉक्टर कुष्ठ रोग को त्वचा की सामान्य बीमारी समझ बैठते हैं। एक और राष्ट्रीय अभियान की तुलना में स्थानिक खंडों में प्रशिक्षित जाँचकर्ता, निजी क्षेत्र में अनिवार्य अधिसूचना का पालन और कलंक-विरोधी कार्य अधिक काम करेंगे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“कुष्ठ रोग 2005 में समाप्त हो गया था, पर कभी खत्म नहीं हुआ।” भारत की रणनीति प्रसार दर से संचरण की ओर किस सीमा तक मुड़ी है? चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — किस सीमा तक — दोनों पक्षों के साक्ष्य के साथ आँकिए कि बदलाव कितनी दूर तक पहुँचा है। 2. भूमिका — एक सीमा-रेखा, जिसे अंत समझ लिया गया — WHO की परिभाषा और 2005 में भारत की उपलब्धि। 3. मुख्य भाग — डिज़ाइन बदल गया है — राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2023-27, 91.1% संपर्क-व्यक्तियों तक रोकथाम की खुराक, आशा द्वारा रेफ़रल, सार्वभौमिक अधिसूचना। 4. मुख्य भाग — परिणाम डिज़ाइन से पीछे हैं — 300 में से 148 ज़िले; नई घटना दर और विकलांगता अनुमान से ऊपर। मूल्य-वर्धन: WHO रणनीति 2021-2030। घटती प्रसार दर बनाम बच्चों के मामलों का आरेख बनाइए। 5. निष्कर्ष — प्रसार दर नहीं, संचरण को मापिए — लक्ष्य कटोर रखिए, स्वतंत्र सत्यापन कराइए, चार राज्यों पर ध्यान दीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के रूप में आपको एक ऐसे खंड में बच्चे का मामला मिलता है जिसे संचरण-मुक्त बताया गया था। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): बच्चे का मामला हाल के संचरण का संकेत है, इसलिए मैं उसकी सूचना दूँगा और खंड के दर्जे को अनंतिम मानूँगा। मैं घर और पड़ोस के संपर्क-व्यक्तियों की जाँच कराऊँगा, पात्र संपर्क-व्यक्तियों को रिफ़ेम्पिसिन दिलाऊँगा, देखूँगा कि सत्यापन कहीं केवल कागज़ी आँकड़ों पर तो नहीं टिका था, और स्कूल के साथ मिलकर काम करूँगा ताकि बच्चे को कलंक न झेलना पड़े।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

भौतिकी का नोबेल उस दशकों लंबे दाँव को पुरस्कृत करता है कि अंटार्कटिका की एक घन किलोमीटर बर्फ दूर की आकाशगंगाओं से आने वाले कणों को पकड़ सकती है। न्यूट्रिनो भौतिकी में भारत की शुरुआत जल्दी हुई थी, फिर भी उसकी अपनी वेधशाला के लिए आज तक कोई स्थल तय नहीं है: बड़े विज्ञान को धैर्यवान धन और जनता की सहमति, दोनों एक साथ चाहिए।

7.1 भौतिकी का नोबेल 2026 दक्षिणी ध्रुव की न्यूट्रिनो दूरबीन आइसक्यूब के लिए फ्रांसिस हाल्जेन को

मुद्दा अग्रणी विज्ञान और भारत (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी: दर्पण अक्टूबर के विज्ञान नोबेल पुरस्कारों पर नज़र रखता है ताकि भारत के अनुसंधान-वित्तपोषण के लिए सबक निकाले जा सकें; 2026 का चिकित्सा नोबेल प्रकाश-आनुवंशिकी (ऑप्टोजेनेटिक्स) को मिला, जो इस जिज्ञासा से पैदा हुई कि एक शैवाल प्रकाश को कैसे भाँपता है।

समाचार (THE NEWS) स्टॉकहोम, 6 अक्टूबर। 2026 का भौतिकी का नोबेल बेल्ट्रियम में जन्मे, विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के 82 वर्षीय फ्रांसिस हाल्जेन को “आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में निर्णायक योगदान और खगोलभौतिकीय मूल के उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए” दिया गया है (उद्धरण द इंडियन एक्सप्रेस में छपे अनुसार)। न्यूट्रिनो छोटे, उदासीन कण हैं जो पदार्थ को मुश्किल से छूते हैं — नोबेल समिति के शब्दों में “सबसे शमीला कण”; हर सेकंड लगभग 65 अरब न्यूट्रिनो एक नाखून से होकर गुज़र जाते हैं। हाल्जेन ने 1988 में सुझाव दिया था कि दक्षिणी ध्रुव की शुद्ध और स्थिर बर्फ को संसूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाए। आइसक्यूब एक घन किलोमीटर बर्फ में फैला है और (द हिंदू के अनुसार) उसमें 5,160 सेंसर लगे हैं, जो चरेनकोव प्रकाश को पकड़ते हैं — यानी किसी माध्यम में प्रकाश से आगे निकल जाने वाले आवेशित कण की चमक। 2010 में पूर्ण हुई इस वेधशाला ने 2013 में पहले उच्च-ऊर्जा ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो खोजे और 2018 में एक न्यूट्रिनो का स्रोत ब्लेज़र तक खोज निकाला। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत की अपनी न्यूट्रिनो वेधशाला के लिए अब भी अंतिम स्थल तय नहीं है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

न्यूट्रिनो की पहचान 1950 के दशक से, पर केवल सूर्य जैसे निकट स्रोतों से → हाल्जेन 1988 में बर्फ का संसूचक प्रस्तावित करते हैं → आइसक्यूब 2010 में पूर्ण → 2013 में पहले ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो, 2018 में ब्लेज़र स्रोत → बहु-संदेशवाहक खगोलिकी और नोबेल

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

- न्यूट्रिनो पर कोई आवेश नहीं होता, द्रव्यमान लगभग नहीं के बराबर होता है और उसके तीन फ्लेवर हैं — वोल्फगैंग पाउली ने 1930 में इसका प्रस्ताव रखा और 1956 में यह पहली बार पकड़ा गया; यह इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ न्यूट्रिनो के रूप में मिलता है। 2015 का भौतिकी नोबेल ताकाकी काजिता और आर्थर मैकडोनाल्ड को न्यूट्रिनो दोलन के लिए मिला, जो सिद्ध करता है कि न्यूट्रिनो में द्रव्यमान होता है।
- चरेनकोव प्रकाश न्यूट्रिनो को उजागर करता है; भारत का INO उन्हें पहाड़ के नीचे पकड़ेगा — चरेनकोव विकिरण तब उत्सर्जित होता है जब कोई आवेशित कण किसी माध्यम में प्रकाश की उस माध्यम में गति से अधिक तेज़ चलता है; पावेल चरेनकोव 1958 के भौतिकी नोबेल के सह-विजेता थे। परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित भारत-आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला (India-based Neutrino Observatory — INO) की योजना तमिलनाडु के थेनी ज़िले की बोडी पश्चिम पहाड़ियों में 50,000 टन के लौह कैलोरीमीटर के चारों ओर बनाने की थी, जैसा INO के FAQ में बताया गया है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- नोबेल और महा-विज्ञान परियोजनाएँ प्रारंभिक परीक्षा में बार-बार आती हैं — GS3 का “विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — विकास और उनके अनुप्रयोग” अग्रणी भौतिकी को समेटता है; प्रारंभिक परीक्षा में कणों और INO तथा LIGO-इंडिया जैसी परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- चरेनकोव विकिरण तब उत्सर्जित होता है जब कोई आवेशित कण किसी माध्यम में उस माध्यम में प्रकाश की गति से अधिक तेज़ चलता है।
- अमंडसेन-स्कॉट दक्षिणी ध्रुव स्टेशन पर स्थित आइसक्यूब अंटार्कटिका की एक घन किलोमीटर बर्फ को अपने संसूचक के रूप में इस्तेमाल करता है।
- ब्लेज़र एक सक्रिय आकाशगंगा है जिसके केंद्र का कृष्ण विवर (ब्लैक होल) लगभग सीधे पृथ्वी की ओर एक जेट दागता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- आइसक्यूब ने केवल नया यंत्र नहीं, ब्रह्मांड की ओर एक नई खिड़की खोली — प्रकाश, ब्रह्मांडीय किरणें और 2015 से गुरुत्वीय तरंगें — हर एक ब्रह्मांड का एक ही रूप दिखाती है। घने क्षेत्र विकिरण सोख लेते हैं, पर न्यूट्रिनो उनके आर-पार निकल जाते हैं और अपने स्रोत की ओर इशारा करते हैं। एक ही घटना को कई संकेतों से पढ़ना बहु-संदेशवाहक खगोलिकी (multi-messenger astronomy) है, जैसा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की डी. इंदुमति ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया।

	2. लेंस — नवाचार और रक्षोपाय: बड़े विज्ञान को केवल बजट नहीं, सामाजिक स्वीकृति भी चाहिए — आइसक्यूब निर्जन बर्फ पर टिका है; INO को गाँवों के निकट पहाड़ियों में सुरंग चाहिए थी और द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उसे भूमि और पर्यावरण को लेकर विरोध झेलना पड़ा। संसूचक से कोई हानिकारक चीज़ नहीं निकलती, पर सुरंग खोदने से जल और पारिस्थितिकी के जो वास्तविक प्रश्न उठे, उनके उत्तर देर से दिए गए। किसी घोषणा से पहले स्वतंत्र पर्यावरणीय समीक्षा और जन-संवाद हो तो रक्षोपाय और परियोजना साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। 3. हाल्जेन का पुरस्कार उस दशकों लंबे दाँव को पुरस्कृत करता है जो छोटे अनुदानों से नहीं लगाया जा सकता — विचार 1988 में, संसूचक 2010 में, खोज 2013 में। भारतीय भौतिकविदों ने 1965 में कोलार स्वर्ण क्षेत्रों की खदानों में गहराई पर वायुमंडलीय न्यूट्रिनो दर्ज किए थे — यह शुरुआती बढ़त थी जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (ANRF) और महा-विज्ञान बजट की कसौटी यही है कि क्या वे ऐसे लंबे क्षितिजों को धन देते हैं और INO का स्थल एक बार में तय करते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	आइसक्यूब जैसी बड़ी वैज्ञानिक सुविधाओं को दशकों तक धैर्यपूर्ण वित्तपोषण और जनता के भरोसे की आवश्यकता होती है। भारत-आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — चर्चा कीजिए — धन और भरोसा, दोनों आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए और एक मत पर पहुँचिए। 2. भूमिका — एक घन किलोमीटर बर्फ को नोबेल — हाल्जेन और दूर की आकाशगंगाओं से आए न्यूट्रिनो। 3. मुख्य भाग — विज्ञान का लाभ दशकों में मिलता है — 1988 से 2013 तक; बहु-संदेशवाहक खगोलिकी। मूल्य-वर्धन: 2015 का दोलन नोबेल। 4. मुख्य भाग — स्थल को चट्टान जितनी ही सहमति भी चाहिए — INO भूमि के प्रश्न पर अटका। प्रवाह-चित्र बनाइए: स्थल का चयन, पर्यावरणीय समीक्षा, परामर्श, निर्माण, और दिखाइए कि INO कहाँ रुका। 5. निष्कर्ष — निर्णय एक बार लीजिए, समझाइए पहले — ANRF से स्थिर वित्तपोषण; घोषणा से पहले जन-संवाद।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. DST सचिव के रूप में आपको INO का नया स्थल चुनना है। आप कौन-सी प्रक्रिया तय करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): वैज्ञानिक आवश्यकताएँ पहले आती हैं: लगभग एक किलोमीटर चट्टान का आवरण और स्थिर भूगर्भ। मैं किसी भी घोषणा से पहले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और घनी आबादी वाले क्षेत्रों को छाँट दूँगा, फिर सरल भाषा में एक विवरणिका प्रकाशित करूँगा, ग्राम-बैठके करूँगा और स्वतंत्र पर्यावरणीय समीक्षा कराऊँगा, ताकि धन प्रतिबद्ध होने से पहले ही आपत्तियाँ सामने आ जाएँ।

8. समाज (Society)

जनजातीय स्वशासन का उद्देश्य समुदायों को उन बाहरी लोगों से बचाना था जो उनकी ज़मीन और जंगल हड़पते रहे। बस्तर में उसी स्वशासन को अब उन्हीं के समुदाय के उन सदस्यों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्होंने अपनी आस्था बदली। प्रश्न यह नहीं है कि ग्राम सभाएँ शक्ति की हकदार हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या कोई भी स्थानीय सत्ता उन अधिकारों के पार जा सकती है जो नागरिक अपने साथ गाँव में भी ले जाता है और कब्रिस्तान तक भी।

8.1 सुकमा की ग्राम सभाओं ने PESA का हवाला देकर पादरियों पर रोक लगाई और ईसाइयों को दफ़न की भूमि देने से इनकार किया

मुद्दा PESA and tribal self-rule (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था • परंपरा और सामाजिक न्याय

अब तक की कहानी PESA, 1996 पंचायतों का विस्तार पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों तक करता है और ग्राम सभा को जनजातीय रूढ़ि का संरक्षक बनाता है। जनवरी 2025 में रमेश बघेल मामले में सर्वोच्च न्यायालय की विभाजित पीठ ने एक पादरी का दफ़न दूसरे गाँव, कर्कपाल, भेज दिया था।

समाचार (THE NEWS) रायपुर। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के पुनपल्ली गाँव में अब एक बैनर पादरियों को धार्मिक गतिविधि से रोकता है और धर्मांतरण के आयोजनों पर पाबंदी लगाता है; यह 2 अक्टूबर को एक ग्राम सभा द्वारा 12 प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद लगा। जनपद सदस्य मडकम भीमा के अनुसार एक अलिखित प्रस्ताव जनजातीय ईसाइयों को दफ़न की भूमि देने से मना करता है; सुकमा के चार गाँव ऐसा कर चुके हैं, और बस्तर की एक ईसाई संस्था के अनुसार ऐसे गाँव कम-से-कम दस हैं। पुनपल्ली के 21 ईसाई परिवारों (75 लोगों) को दफ़न के लिए 13 किमी से अधिक दूर जाना पड़ेगा। बैनर PESA का हवाला देता है, जो अनुसूचित क्षेत्रों (पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र) की ग्राम सभाओं को सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अधिकार देता है। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव इसे असंवैधानिक कहते हैं। ईसाई संगठनों का कहना है कि विभाजित निर्णय का दुरुपयोग हो रहा है, और फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज़बरन कब्र खोदकर शव निकालने पर रोक लगाए जाने के बाद गाँव शुरू में ही दफ़न से मना कर देते हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बस्तर में धर्मांतरण से सांस्कृतिक प्रतिक्रिया पैदा होती है → रमेश बघेल मामले में सर्वोच्च न्यायालय बँट जाता है (जनवरी 2025) → फरवरी का स्थगन ज़बरन शव निकालने पर रोक लगाता है → गाँव PESA का हवाला देकर पहले ही दफ़न की भूमि देने से इनकार कर देते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	PESA पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा को रूढ़ि का संरक्षक बनाता है — अनुच्छेद 244(1) और पाँचवीं अनुसूची उन अनुसूचित क्षेत्रों को शासित करते हैं जो पूर्वोत्तर के चार छोटी अनुसूची वाले राज्यों से बाहर हैं। पंचायतों के उपबंध (विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर) अधिनियम [Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act — PESA], 1996 (1996 का अधिनियम 40) भाग IX को इन क्षेत्रों तक बढ़ाता है, और धारा 4(d) हर ग्राम सभा को “लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा और संरक्षण” के लिए सक्षम बनाती है। अनुच्छेद 25 जीवन में उपासना की और अनुच्छेद 21 मृत्यु में गरिमा की रक्षा करते हैं — अनुच्छेद 25 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। परमानंद कटारा (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर तक भी जाता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	सामान्य अध्ययन-1 और 2 वहाँ मिलते हैं जहाँ रूढ़ि अधिकारों से टकराती है — सामान्य अध्ययन-1 में “सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता” आते हैं; सामान्य अध्ययन-2 में “इन सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए” बने कानून।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- PESA, 1996 का अधिनियम 40 है; इसकी धारा 4(d) हर ग्राम सभा को लोगों की परंपराओं, रूढ़ियों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने का अधिकार देती है। - अनुच्छेद 19(5) भारत में कहीं भी आने-जाने और बसने की स्वतंत्रता पर किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन की अनुमति देता है। - Rev. Stainislaus v State of Madhya Pradesh (1977) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म-प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	PESA रूढ़ि की रक्षा करता है, पर संविधान के विरुद्ध नहीं — धारा 4(d) रूढ़ियों को सुरक्षित रखती है; वह मूल अधिकारों को निलंबित नहीं करती। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत पंचायतें “राज्य” हैं और भाग III से बंधी हैं। अनुच्छेद 19(5) जनजातीय हितों की रक्षा के लिए बाहरी लोगों के

	आवागमन पर सीमा लगाने की अनुमति देता है, इसलिए धर्म-प्रचार के किसी आयोजन को नियंत्रित करना न्यायिक कसौटी पर टिक सकता है। पर किसी निवासी को क्रब्र देने से इनकार नहीं टिक सकता। 2. लेंस — परंपरा और सामाजिक न्याय: चिंता वास्तविक है, उपचार गलत — बस्तर के अनेक ग्रामीणों को डर है कि धर्मांतरण गाँव के जीवन के साझा देवताओं और पर्वों को तोड़ देता है; इस डर को सुना जाना चाहिए। पर जनजातीय ईसाई भी जनजातीय ही हैं, और उन्हें क्रब्र से वंचित करना अपनेपन को आस्था पर निर्भर बना देता है। विवेकशील अधिकारी दोनों को अलग रखेगा: प्रलोभन की शिकायतें पुलिस को जाएँगी, और दफ़न की भूमि हर निवासी के लिए सुनिश्चित की जाएगी। 3. विभाजित निर्णय ने जो शून्य छोड़ा है, उसे गाँव की राजनीति भर रही है — रमेश बघेल ने एक दफ़न का निपटारा किया, पर कोई सिद्धांत तय नहीं किया, क्योंकि जब शव मुर्दाघर में पड़ा था तब पीठ ने बड़ी पीठ को संदर्भ भेजना टाल दिया। न्यायमूर्ति शर्मा के निर्दिष्ट स्थल वाले मत को अब बहिष्कार की छूट के रूप में पढ़ा जा रहा है। बड़ी पीठ का निर्णय या हर निवासी के लिए दफ़न की भूमि की गारंटी देने वाले राज्य के नियम इस रिक्ति को भर देंगे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	क्या सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने की PESA के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्ति किसी निवासी के उपासना और गरिमायमय दफ़न के अधिकार को सीमित कर सकती है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — दोनों पक्षों को तौलिए और निर्णय दीजिए। 2. भूमिका — PESA ने ग्राम सभा को रूढ़ि का संरक्षक बनाया — पुनपल्ली और धारा 4(d) से आरंभ कीजिए। 3. मुख्य भाग — रूढ़ि का संवैधानिक वज़न है, अनुच्छेद 19(5) सहित — बस्तर की धर्मांतरण संबंधी चिंताएँ। 4. मुख्य भाग — ग्राम सभा “राज्य” है और भाग III को लाँच नहीं सकती — मूल्य-वर्धन: परमानंद कटारा और रमेश बघेल का विभाजित निर्णय। प्रवाह-चित्र: संविधान → PESA → ग्राम सभा, भाग III को ऊपरी सीमा के रूप में दिखाइए। 5. निष्कर्ष — अधिकारों के भीतर स्वायत्तता — बड़ी पीठ का निर्णय और हर आस्था के लिए दफ़न की भूमि।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप सुकमा के कलेक्टर हैं। पुनपल्ली में एक ईसाई परिवार का सदस्य गुज़र गया है और गाँव क्रब्र देने से मना कर रहा है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): दफ़न टाला नहीं जा सकता: मैं उसी दिन भूमि चिह्नित करूँगा और बुजुर्गों को समझाऊँगा कि ग्राम सभा क्रब्र देने से इनकार नहीं कर सकती, और इसे किसी की जीत या हार नहीं बनने दूँगा। एक सप्ताह के भीतर हर पंचायत सभी निवासियों के लिए दफ़न की भूमि अलग करेगी; धर्मांतरण की शिकायतें पुलिस को जाएँगी।

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

भारत ने भुगतान को आसान और भरोसेमंद बनाकर दुनिया की सबसे व्यस्त रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली खड़ी की। अब ठग ठीक उसी सहजता और भरोसे का फायदा उठा रहे हैं, और बैंक अक्सर पीड़ितों से कह देते हैं कि नुकसान उनका अपना है। साइबर सुरक्षा अब केवल पुलिसिंग की समस्या नहीं रही; यह इस प्रश्न का मामला है कि जोखिम कौन उठाएगा।

9.1 SPIR 2026: UPI पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाले भारतीय धोखाधड़ी के शिकार अधिक बनते हैं, बैंक देनदारी से इनकार करते हैं

मुद्दा साइबर धोखाधड़ी और 'डिजिटल अरेस्ट' (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी UPI के प्रसार के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी नागरिकों का सबसे आम अपराध बन गई है। NCRB के आँकड़ों के अनुसार 2024 में साइबर अपराध 17.9% बढ़कर 1,01,928 मामलों तक पहुँचा; SPIR 2026 सर्वेक्षण में 13% उत्तरदाता पीड़ित निकले और कई ने पुलिस को रिश्वात दी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू की दो रिपोर्टें भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट (Status of Policing in India Report — SPIR) 2026 से भरोसे और बैंकों के बारे में नए निष्कर्ष निकालती हैं; यह कॉमन कॉज़-लोकनीति-CSDS का 16 राज्यों के 8,306 लोगों का सर्वेक्षण है। आधे (49%) लोग रोज़ UPI इस्तेमाल करते हैं और 75% उसे सुरक्षित मानते हैं। भरोसा जोखिम के साथ बढ़ता है: ऑनलाइन बैंकिंग को “बहुत सुरक्षित” बताने वालों में से 28% पीड़ित रह चुके थे, जबकि उसे “बहुत असुरक्षित” बताने वालों में 14%; और बार-बार UPI इस्तेमाल करने वालों के पीड़ित होने की आशंका अधिक थी। द हिंदू ने आँकड़ों को जैसे पढ़ा है, उसके अनुसार डिजिटल धोखाधड़ी के 52% पीड़ितों ने अपने बैंक से शिकायत की, उनमें से 63% ने 24 घंटे के भीतर; फिर भी बैंकों ने प्रायः यही कहा कि पीड़ित ने “सहयोग” किया; 40% को शक था कि बैंक के किसी अंदरूनी व्यक्ति ने उनका डेटा लीक किया। कमज़ोर KYC के कारण ठग ख़च्चर खाते (mule accounts) खोल लेते हैं, जो चुराया हुआ पैसा लेकर आगे बढ़ा देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर चार में से तीन पीड़ितों को कुछ भी वापस नहीं मिला।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

UPI भुगतान को तत्काल और भरोसेमंद बनाता है → ठग उपयोगकर्ताओं को छलकर भुगतान की मंजूरी दिलवाते हैं, और पैसा कमज़ोर KYC पर खुले ख़च्चर खातों से घुमाया जाता है → बैंक इन्हें ग्राहक-अधिकृत लेन-देन कहकर देनदारी से इनकार करते हैं → अधिकांश पीड़ितों को कुछ वापस नहीं मिलता

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- 1. RBI का 2017 का ढाँचा तय करता है कि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक हानि का बोझ किस पर पड़ेगा** — RBI का 2017 का परिपत्र ग्राहकों की देनदारी शून्य रखता है, जहाँ गलती बैंक की हो या जहाँ तीसरे पक्ष के उल्लंघन की सूचना तीन कार्य-दिवसों के भीतर दी गई हो; बाद में सूचना देने पर सीमित देनदारी बनती है। ग्राहक की देनदारी सिद्ध करने का भार बैंक पर है। द हिंदू के अनुसार 2026 में एक पायलट परियोजना उन ग्राहकों के लिए बैंक की सीमित देनदारी बढ़ाती है जिन्हें छलकर भुगतान करवाया गया।
- 2. I4C और CFCFRMS राज्य की त्वरित-प्रतिक्रिया व्यवस्था हैं** — गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre — I4C) 1930 हेल्पलाइन चलाता है। इसकी नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System — CFCFRMS) पुलिस को बैंकों से जोड़ती है, ताकि चुराया गया पैसा जल्दी रोका जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 66D के कंप्यूटर संसाधन के प्रयोग से प्रतिरूपण द्वारा छल करने को दंडित करती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. सामान्य अध्ययन-3 धोखाधड़ी नेटवर्कों को सुरक्षा और धन-शोधन, दोनों की समस्या मानता है** — पाठ्यक्रम में “साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें; धन-शोधन और उसकी रोकथाम” दर्ज है। ख़च्चर खाते इन दोनों को जोड़ते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- RBI के 2017 के ग्राहक-देनदारी ढाँचे के अंतर्गत, यदि तीसरे पक्ष के उल्लंघन से हुए किसी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की सूचना बैंक को तीन कार्य-दिवसों के भीतर दे दी जाए, तो ग्राहक की देनदारी शून्य होती है।
- इसी ढाँचे के अंतर्गत ग्राहक की देनदारी सिद्ध करने का भार बैंक पर होता है।
- नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली का संचालन गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र करता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. भरोसे का विरोधाभास केवल साक्षरता की नहीं, डिज़ाइन की भी समस्या है** — UPI इसलिए सफल हुआ कि उसने अड़चनें हटा दीं, और धोखाधड़ी उसी सहजता का इस्तेमाल करती है: पीड़ित खुद भुगतान को मंजूरी देता है। जिस प्रणाली को राज्य बढ़ावा देता है, उस पर अविश्वास करने की सलाह देना मिले-जुले संकेत भेजता है; सुरक्षा जोखिम भरे क्षणों में, जैसे

	किसी नए प्राप्तकर्ता को पहला बड़ा भुगतान, प्रणाली में ही निर्मित होनी चाहिए। 2. लेंस — नवाचार और सुरक्षा-उपाय: देनदारी के नियम धोखाधड़ी के तरीकों से पीछे छूट गए हैं — 2017 का नियम अनधिकृत लेन-देन को कवर करता है, पर अधिकांश UPI धोखाधड़ी में छूले गए ग्राहक स्वयं भुगतान अधिकृत करते हैं, इसीलिए बैंक “सहयोग” का तर्क देते हैं। विवेकशील अधिकारी नुकसान का एक हिस्सा प्राप्तकर्ता बैंक पर डालेगा, जिसकी कमज़ोर KYC ने खचर खाता खुलने दिया, यानी लागत वहाँ रखेगा जहाँ चूक हुई। प्रतिवाद नैतिक जोखिम (moral hazard) का है, इसलिए देनदारी साझा और सीमित होनी चाहिए। 3. खचर खाते बैंक को अपराध-स्थल का हिस्सा बना देते हैं — SIM कार्ड, खातों और फोन की धोखाधड़ी-किटें ₹10,000-20,000 में बिकती हैं; खाता उधार देने वाले सबसे आसानी से बदले जा सकने वाली कड़ी हैं, इसलिए उन्हें गिरफ़्तार करने से संगठनकर्ता बच निकलते हैं। अंदरूनी लीक का शक जवाबदेही की एक और खाई जोड़ता है: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act) के तहत बैंक डेटा न्यासी हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	जो भारतीय डिजिटल भुगतान पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनके ठगो जाने की आशंका अधिक है, और बैंक अक्सर देनदारी से इनकार करते हैं। परीक्षण कीजिए कि साइबर-धोखाधड़ी की हानि बैंकों और ग्राहकों के बीच कैसे बाँटी जानी चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — विरोधाभास की पड़ताल कीजिए, विकल्पों को परखिए, निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — भरोसे का विरोधाभास — SPIR 2026: भरोसा करने वाले और बार-बार UPI इस्तेमाल करने वाले पीड़ित अधिक बने। 3. मुख्य भाग — 2017 का ढाँचा छूले गए ग्राहकों को छोड़ देता है — मूल्य-वर्धन: 63% ने 24 घंटे के भीतर शिकायत की, फिर भी बैंकों ने सहयोग का दावा किया। 4. मुख्य भाग — कमज़ोर KYC प्राप्तकर्ता बैंक को हानि का सह-लेखक बना देती है — प्रवाह-चित्र: पीड़ित → भुगतानकर्ता बैंक → खचर खाता → परतें चढ़ाना (layering), हस्तक्षेप के बिंदु चिह्नित कीजिए। 5. निष्कर्ष — साझा और सीमित देनदारी तथा जोखिम भरे क्षणों में अड़चन — साथ में तेज़ी से रकम रोकना।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. पुलिस अधीक्षक के रूप में आप पाते हैं कि स्थानीय धोखाधड़ी का अधिकांश पैसा कुछ शाखाओं के खचर खातों से गुज़रता है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं शाखा-वार खातों का नक्शा बनाऊँगा और बैंकों तथा RBI के क्षेत्रीय कार्यालय से KYC की समीक्षा का अनुरोध करूँगा। खाताधारकों से पृच्छताछ संगठनकर्ताओं तक पहुँचने के लिए होगी; उन्हें मामले का अंत नहीं माना जाएगा। अग्रणी बैंक के साथ मैं यह सहमति बनाऊँगा कि 1930 पर शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों में रकम रोक दी जाए।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

प्रकरण 1 — बिकती हुई मेरिट सूची: परीक्षा नियंत्रक की करतूत का पता चलने पर आयोग का सदस्य

परिदृश्य (SCENARIO) द इंडियन एक्सप्रेस (7 अक्टूबर) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पशु-चिकित्सा अधिकारियों के 400 पदों की भर्ती से जुड़ी धन-शोधन की जाँच में एक राज्य लोक सेवा आयोग के निलंबित अध्यक्ष और एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि आयोग के परीक्षा नियंत्रक, जो एक IAS अधिकारी हैं, ने किसी विचौलिये के ज़रिये ₹20-40 लाख देने वाले लगभग 20 अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र लीक किए, और 1:3 की मेरिट सूची आते ही अधिकारियों ने उनसे अभ्यर्थियों के नाम माँगे तथा रिश्वत की रकम अभ्यर्थी के चयन की संभावना के साथ बढ़ती गई। ये आरोप ही हैं। अब एक काल्पनिक आयोग की कल्पना कीजिए, जिसके सदस्य आप हैं। एक कनिष्ठ लिपिक चुपके से आपको बताता है कि नियंत्रक प्रकाशन से पहले ही अनंतिम सूची बाहरी लोगों को दे रहा है, और अगली परीक्षा तीन सप्ताह बाद है। अध्यक्ष के क़रीबी नियंत्रक आपको याद दिलाते हैं कि आयोग की साख और हर चयनित अभ्यर्थी की नौकरी दाँव पर लगी है।

प्रश्न 1. कौन-से कर्तव्य और मूल्य आपस में टकरा रहे हैं, और एक लिपिक की बात का कितना वज़न माना जाए ?

प्रश्न 2. आप क्या करेंगे, किस क्रम में करेंगे, और यदि अध्यक्ष पर भरोसा न किया जा सके तो किसके पास जाएँगे ?

प्रश्न 3. जो अभ्यर्थी पहले ही चयनित हो चुके हैं और तीन सप्ताह बाद होने वाली परीक्षा के बारे में आप क्या करेंगे ?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- प्रक्रिया के न्यासी, उसके नाम के नहीं** — अनुच्छेद 315-323 के अंतर्गत आयोग का गठन इसलिए हुआ है कि अनुच्छेद 14 और 16 के तहत हर अभ्यर्थी को समान अवसर मिले। प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुप रहना इसी उद्देश्य से विश्वासघात होगा। सदस्य की निष्ठा ईमानदार अभ्यर्थी के प्रति है, और संस्था के प्रति केवल तभी तक जब तक वह स्वयं ईमानदार बनी रहे।
- चुपचाप सत्यापन कीजिए, फिर लिखित में रिपोर्ट कीजिए** — नियंत्रक से सीधा सामना न कीजिए और उसे भनक न लगने दीजिए। लिपिक की सहमति से एक्सेस लॉग और संदेशों के अभिलेख सुरक्षित कीजिए तथा किसी भरोसेमंद अधिकारी के माध्यम से तथ्यों की पुष्टि कीजिए। इसके बाद अध्यक्ष को लिखित टिप्पणी दीजिए। यदि अध्यक्ष स्वयं हितों के टकराव में हों, तो राज्यपाल को लिखिए, जो सदस्यों की नियुक्ति करते हैं (अनुच्छेद 316) और राष्ट्रपति द्वारा कदाचार का मामला उच्चतम न्यायालय को भेजे जाने के बाद किसी सदस्य को निलंबित भी कर सकते हैं (अनुच्छेद 317); मुख्य सचिव को लिखिए, क्योंकि IAS अधिकारी का संवर्ग-प्राधिकारी राज्य सरकार है; और पुलिस को सूचित कीजिए, क्योंकि रिश्वत लेकर प्रश्न-पत्र लीक करने वाला लोक सेवक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के अंतर्गत अपराध करता है।
- अगली परीक्षा और निर्दोषों की रक्षा कीजिए** — माँग कीजिए कि नियंत्रक को सभी गोपनीय कार्यों से दूर रखा जाए, प्रश्न-पत्र निर्माण और मुद्रण की व्यवस्था बदली जाए, और स्वतंत्र लेखा-परीक्षा पूरी होने तक लंबित सूची रोककर रखी जाए। दूसरों की धोखाधड़ी की सज़ा ईमानदार अभ्यर्थियों को नहीं मिलनी चाहिए: जिनके पैसे देने का प्रमाण मिले, उनका चयन निष्पक्ष सुनवाई के बाद रद्द हो, और शेष अभ्यर्थियों को शीघ्र क्लीन चिट दी जाए।
- निष्कर्ष** — कीमत स्वीकारिए, सुरक्षा-तंत्र गढ़िए — रिपोर्ट करने पर प्रतिशोध झेलना पड़ सकता है, इसलिए हर कदम अभिलेख में रखिए और वैध माध्यम ही अपनाइए। उसके बाद सूचियों और प्रश्न-पत्रों की दोहरी-कुंजी अभिरक्षा, छेड़छाड़-रोधी ऑडिट ट्रेल, संवेदनशील पदों पर रोटेशन और लिपिकों के लिए रिपोर्ट करने का सुरक्षित माध्यम बनाने पर ज़ोर दीजिए।

प्रकरण 2 — “उनके नाम कट गए हैं, उन्हें रोके रखो”: पुलिस अधिकारी और प्रवासी मज़दूर

परिदृश्य (SCENARIO) द हिंदू (7 अक्टूबर) की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ पुलिस ने 4 सितंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के 23 प्रवासी मज़दूरों को बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया और उन्हें अवैध प्रवासियों के लिए बने रायपुर के एक होल्टिंग सेंटर में रखा। स्थानीय अदालत के आदेश के बाद 19 लोग 18 सितंबर को रिहा कर दिए गए और निर्णय के बाद उन्होंने अपने नाम मतदाता सूची में फिर से दर्ज पाए; चार लोग एक माह से अधिक समय तक हिरासत में रहे। अदालत में पुलिस ने विशेष गहन पुनरीक्षण में उनके नाम कटने को आधार बनाकर उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए। एक पिता का कहना है कि कटाव में पुराना घर नष्ट होने के बाद उसका परिवार 1973 से अपने गाँव में रह रहा है। नाम बहाल करने की अपीलें लंबित हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे ही किसी मामले में पुलिस अधीक्षक हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी आपसे कहता है कि मज़दूरों को हिरासत में ही रखिए क्योंकि “उनके नाम कट चुके हैं”, जबकि मज़दूर कहते हैं कि उनके परिवार पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं और स्थानीय भीड़ कार्रवाई की माँग कर रही है।

प्रश्न 1. क्या निर्वाचक नामावली से नाम कटना यह सिद्ध करता है कि कोई व्यक्ति विदेशी है? संदेह और प्रमाण में अंतर स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 2. आदेश और हिरासत में पड़े लोगों के बारे में आप क्या करेंगे ?

प्रश्न 3. नाम, भाषा या समुदाय को साक्ष्य माने बिना आप लोक सुरक्षा की रक्षा कैसे करेंगे ?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **कटा हुआ नाम जाँच का कारण है, निष्कर्ष नहीं** — नामावली केवल मतदान की पात्रता दर्ज करती है, और नाम कटने के विरुद्ध अपील की जा सकती है; इस मामले में 23 में से 19 के नाम बहाल हो गए। नागरिकता का आधार अनुच्छेद 5-11 और नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955) है। विदेशी अधिनियम, 1946 का स्थान लेने वाले आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) के अंतर्गत यह सिद्ध करने का भार कि वह विदेशी नहीं है, व्यक्ति पर होता है, परंतु केवल सक्षम प्राधिकारी के सामने नोटिस और सुनवाई वाली कार्यवाही में, पुलिस के संदेह पर नहीं।
2. **स्वतंत्रता कागज़ी कार्रवाई की प्रतीक्षा नहीं कर सकती** — अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति की रक्षा करता है, और अनुच्छेद 22(2) के अनुसार हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पता कीजिए कि रोके रखने का वैधानिक आधार क्या है। यदि कोई आधार न हो, तो दर्ज पते के साथ बॉन्ड पर उन्हें छोड़ दीजिए। भूमि के कागज़, स्कूल के अभिलेख और पहले की नामावलियों जैसे दस्तावेज़ों का सत्यापन गृह-ज़िले की पुलिस और नियोक्ताओं के माध्यम से महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में कराइए।
3. **वैध आदेश मानिए, असहमति लिखित में दर्ज कीजिए** — वरिष्ठ का निर्देश अवैध हिरासत का बचाव नहीं है। आदेश लिखित में माँगिए, महानिरीक्षक और गृह विभाग को कानूनी कठिनाई बताइए, और कोई वास्तविक संदेह हो तो उसे कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को भेजिए। न्यायालय को अवगत रखिए, क्योंकि स्वतंत्रता का अंतिम रक्षक वही है।
4. **निष्कर्ष — सुरक्षा और गरिमा साथ-साथ** — जो पुलिसिंग नाम, बोली या आस्था को साक्ष्य मानती है, वह जनता का वह भरोसा खो देती है जो वास्तविक अवैध घुसपैठियों को पकड़ने में सहायक होता है। समान, प्रलेखित और व्यक्तिगत जाँच अपनाइए, कर्मचारियों को प्रशिक्षित कीजिए और मज़दूरों के गृह-राज्य के साथ समन्वय कीजिए।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
आईएनएस सूर्य (FSS-1) — नौसेना का पहला स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप	रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस सूर्य का जलावतरण किया और पाँचवें पोत FSS-5 की कील स्थापित की; इस शृंखला के पीछे पाँच पोतों का ₹19,000 करोड़ का अनुबंध है और इनमें 82% से अधिक स्वदेशी सामग्री है (द हिंदू; PIB)। फ्लीट सपोर्ट शिप (Fleet Support Ship) समुद्र में ही युद्धपोतों को ईंधन, ताज़ा पानी, रसद और गोला-बारूद की आपूर्ति करता है, जिससे नौसेना की दूरस्थ समुद्र में टिके रहने की क्षमता बढ़ती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है।
ब्रह्मोस अग्नि-नियंत्रण अनुबंध — 'खरीदें (भारतीय-IDDM)' श्रेणी का अर्थ	रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाज़ों के लिए ब्रह्मोस अग्नि-नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्षेपकों हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹661.50 करोड़ का अनुबंध किया है, जो 'खरीदें (भारतीय-IDDM)' [Buy (Indian-IDDM)] श्रेणी के अंतर्गत है, जिसमें कम-से-कम 68% स्वदेशी सामग्री अनिवार्य है और आपूर्ति तीन वर्ष में होनी है (द हिंदू; PIB)। IDDM का अर्थ है स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित (Indigenously Designed, Developed and Manufactured); रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 (Defence Acquisition Procedure 2020) के अंतर्गत पूँजीगत अधिग्रहण की वरीयता-क्रम में यह सर्वोच्च श्रेणी है, और मसौदा DAP 2026 में भी यह प्राथमिकता बनी हुई है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस, DRDO और रूस की NPO मशिनोस्ट्रॉयेनिया का संयुक्त उद्यम है।
DRDO का समताप मंडलीय एयरशिप — उच्च-ऊँचाई मंच	6 अक्टूबर की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, DRDO ने स्वदेशी उच्च-ऊँचाई मंच (High-Altitude Platform), यानी समताप मंडलीय एयरशिप का उड़ान-परीक्षण किया, जो लगभग 21 किमी तक पहुँचा, करीब 30 मिनट तक लगभग 20 किमी की ऊँचाई पर टिका रहा और फिर नियंत्रित ढंग से नीचे उतरा; उस पर जड़त्वीय मापन इकाइयाँ, GPS, कैमरे और ऊँचाई-नियंत्रण प्रणाली लगी थीं। ऐसे मंच विमानों से बहुत ऊपर, पर उपग्रहों से कहीं नीचे रहते हैं, और इनका उपयोग निगरानी तथा संचार के लिए होना है। समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर स्थित है और इसी में ओज़ोन परत पाई जाती है।
SAREX-2026 और राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड	6 अक्टूबर की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, 12वाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास (SAREX-2026) ओडिशा के पारादीप तट के निकट 7-8 अक्टूबर को हो रहा है, जिसमें 30 देशों के 32 अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं; अभ्यास का परिदृश्य एक यात्री विमान के समुद्र में उतरने और एक कटेनर जहाज़ से टकराने का है। राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड (National Maritime SAR Board) की 24वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक करते हैं, भुवनेश्वर में हो रही है। तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और समुद्री खोज एवं बचाव के लिए भारत का समन्वयक है।
भारत-स्विट्ज़रलैंड अनुसंधान ढाँचा और भारत-EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA)	6 अक्टूबर की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, भारत और स्विट्ज़रलैंड ने भारत-स्विट्ज़रलैंड अनुसंधान ढाँचा (India-Switzerland Research Framework) शुरू किया है, जो 2003 में औपचारिक रूप दिए गए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर आधारित है; इसके क्षेत्रों में हिमनद अध्ययन, भू-संकट, प्रणाली चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान शामिल हैं, और एक नया 'एक्सप्लोर' कार्यक्रम भी है। यह भारत-EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement) के साथ चलता है, जिसकी पहली वर्षगांठ इसी सप्ताह है। EFTA के चार सदस्य आइसलैंड, लिकटेन्स्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड हैं; यह यूरोपीय संघ से अलग समूह है।
पर्यावरणीय आर्थिक लेखा रणनीति 2026-30 — MoSPI और संयुक्त राष्ट्र SEEA	PIB के अनुसार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भारत में पर्यावरणीय आर्थिक लेखा रणनीति 2026-2030 (Strategy for Environmental Economic Accounts in India 2026-2030) जारी की है, जो 2022-26 की रणनीति का विस्तार है; इसके प्राथमिकता वाले क्षेत्र वन, खनिज, मृदा, भूमि, जल, कार्बन भंडार और जैव विविधता हैं, साथ ही सामग्री-प्रवाह, महासागर और ऊर्जा लेखे भी हैं। भारत ने 2018 में पर्यावरणीय-आर्थिक लेखा प्रणाली (System of Environmental-Economic Accounting, SEEA) के ढाँचे पर पर्यावरणीय लेखांकन शुरू किया था; यह प्राकृतिक पूँजी को राष्ट्रीय लेखों से जोड़ने का अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 2012 में अपनाया था। 'हरित GDP' पर होने वाली बहसों का यही आधार है।
जोश (JOSH) टीमें — टीबी मुक्त भारत के लिए युवाओं की पहल	एक PIB विज्ञप्ति के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा 8 अक्टूबर को भारत मंडप में संयुक्त स्वास्थ्य दल (Joint Squad for Health, JOSH) टीमों का शुभारंभ करेंगे। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों, MY भारत स्वयंसेवकों और NCC कैडेटों की ये टीमें टीबी के लक्षण, जाँच, उपचार पूरा करने और कलंक के प्रश्न पर समुदायों को जागरूक करेंगी; शुरुआत 11 राज्यों के 55 ज़िलों से होगी। MY भारत (मेरा युवा भारत) युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय का मंच है; NCC रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 — अनुच्छेद II बनाम आर्टेमिस	बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 (Outer Space Treaty, 1967) का अनुच्छेद II कहता है कि चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष पर संप्रभुता का दावा करके, उपयोग या कब्जे के द्वारा, या किसी

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
‘सुरक्षा क्षेत्र’	अन्य तरीके से राष्ट्रीय स्वामित्व स्थापित नहीं किया जा सकता। द हिंदू के एक व्याख्यात्मक लेख के अनुसार, आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) हानिकारक हस्तक्षेप रोकने के लिए ‘सुरक्षा क्षेत्र’ की अनुमति देते हैं, जिससे कोई राज्य भूभाग का दावा किए बिना दूसरों की पहुँच सीमित कर सकता है, जैसे चंद्रमा पर किसी परमाणु रिएक्टर के आसपास; समझौतों के अनुसार ऐसे क्षेत्र अस्थायी होने चाहिए और मुक्त पहुँच का सम्मान करना चाहिए। भारत इस संधि का पक्षकार है और उसने जून 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
EU AI अधिनियम, अनुच्छेद 50(2) — AI सामग्री की मशीन-पठनीय चिह्नान	यूरोपीय संघ के AI अधिनियम (EU AI Act) का अनुच्छेद 50(2) जनरेटिव AI प्रणालियों के प्रदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे सुनिश्चित करें कि AI द्वारा बनाई या बदली गई सामग्री, जिसमें पाठ भी शामिल है, मशीन-पठनीय रूप में चिह्नित हो और कृत्रिम रूप से उत्पन्न के तौर पर पहचानी जा सके; पारदर्शिता संबंधी ये दायित्व 2 अगस्त 2026 से लागू हैं (द हिंदू)। कानून में वॉटरमार्क की विशेष रूप से अनिवार्यता नहीं है, और यूरोपीय आयोग ने AI-जनित सामग्री की पारदर्शिता पर एक स्वैच्छिक आचार संहिता भी तैयार की है। OpenAI का कहना है कि वह यूरोपीय संघ में ChatGPT के पाठ में अदृश्य वॉटरमार्क जोड़ेगा, पर इसे वैश्विक डिफॉल्ट नहीं बनाएगा।
हेल्म्स-बर्टन अधिनियम, 1996 — अमेरिकी कानून में लिखी क्यूबा नाकेबंदी	संयुक्त राज्य अमेरिका ने अक्टूबर 1960 में क्यूबा पर आंशिक प्रतिबंध (एम्बार्गो) लगाया और 1962 में उसे पूर्ण कर दिया; क्यूबा लोकतंत्र अधिनियम, 1992 (Cuban Democracy Act, 1992) ने अमेरिकी कंपनियों को विदेशी सहायक इकाइयों को क्यूबा से व्यापार करने से रोका, और हेल्म्स-बर्टन अधिनियम, 1996 (Helms-Burton Act, 1996) ने इस प्रतिबंध को कानून का रूप दे दिया, जिससे उसे हटाने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। यह अधिनियम उन विदेशी कंपनियों के विरुद्ध मुकदमे की भी अनुमति देता है जो अमेरिकियों से ज़ब्त की गई संपत्ति का उपयोग करती हैं (द हिंदू)। 1992 से हर वर्ष पारित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव, जो इस प्रतिबंध के विरुद्ध हैं, बाध्यकारी नहीं हैं।
नौसेना जासूसी मामला — शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के साथ UAPA और BNS	आंध्र प्रदेश पुलिस का प्रति-गुप्तचर प्रकोष्ठ (Counter Intelligence Cell) 1 अक्टूबर से ‘ऑपरेशन फायरवॉल-2026’ चला रहा है, जिसमें 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 12 टीमें लगी हैं; यह उस कथित गिरोह के विरुद्ध है जो रक्षा प्रतिष्ठानों की जानकारी पाकिस्तानी गुप्तचर कर्मियों को देता था (द हिंदू; IE)। FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र), 147 और 148 (युद्ध करना, और युद्ध करने का षड्यंत्र), धारा 3(5) (सामान्य आशय) के साथ पढ़ते हुए, लगाई गई हैं, साथ ही UAPA और शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (Official Secrets Act, 1923) भी, जो जासूसी तथा सरकारी गोपनीय जानकारी के अनुचित संप्रेषण के विरुद्ध औपनिवेशिक काल का कानून है।
जनगणना 2027 — लद्दाख सबसे पहले पूरा करने वाला; अनंतिम आँकड़े मार्च-अप्रैल 2027 तक	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी के अनुसार, जनसंख्या जनगणना 2027 के अनंतिम आँकड़े मार्च या अप्रैल 2027 तक उपलब्ध होंगे, और लद्दाख पूरी प्रक्रिया पूरी करने वाला पहला राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बन गया है; देशव्यापी जनसंख्या गणना चरण फरवरी 2027 के लिए प्रस्तावित है (द हिंदू)। यह पहली डिजिटल जनगणना है और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त जाति की भी गणना होगी; केंद्र ने इसे मणिपुर में ‘अगली घोषणा तक’ टाल दिया है।
विश्व बैंक का दक्षिण एशिया आर्थिक अद्यतन — वर्ष में दो बार आने वाली रिपोर्ट	विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक अद्यतन (South Asia Economic Update), जो वर्ष में दो बार आता है, के 6 अक्टूबर को जारी संस्करण में चालू वित्त वर्ष (FY27, अप्रैल 2026 से मार्च 2027) के लिए भारत की वृद्धि का पूर्वानुमान अप्रैल के संस्करण की तुलना में आधा प्रतिशत अंक बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया और दक्षिण एशिया की 2026 की वृद्धि 6.9% आँकी गई (IE; द हिंदू)। इसे रिपोर्ट के पूर्वानुमान के रूप में ही याद रखिए, तथ्य के रूप में नहीं। बैंक जिन सुधारों का श्रेय देता है, उनमें श्रम संहिताओं का समेकन, GST सुधार, शुल्कों का युक्तिकरण, दिवाला कानून और अवसंरचना निवेश शामिल हैं।
सेवा उत्पादन सूचकांक — MoSPI UPI आँकड़ों पर विचार कर रहा है	MoSPI ने 6 अक्टूबर को कहा कि वह नए सेवा उत्पादन सूचकांक (Index of Services Production) में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लोक प्रशासन एवं रक्षा सेवाओं को मापने के लिए UPI भुगतान आँकड़ों और सरकारी वेतन आँकड़ों पर विचार कर रहा है (IE)। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति की एक उप-समिति ने UPI आँकड़ों को GDP के इनपुट के रूप में प्रयोग न करने का निर्णय लिया था, क्योंकि भुगतान आँकड़े अभी स्थिर नहीं थे; उसने कहा था कि UPI को आगे चलकर निजी अंतिम उपभोग व्यय का संकेतक बनाने पर विचार हो सकता है, जो व्यय की दृष्टि से GDP का सबसे बड़ा घटक है।
GST दरों में बदलाव — 1 अप्रैल से साल में एक बार का नियम, रिपोर्ट के अनुसार	PTI ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि GST परिषद कर-दरों में बदलाव के प्रस्तावों पर वर्ष में केवल एक बार विचार करेगी, और सभी दर-परिवर्तन वित्त वर्ष की शुरुआत, यानी 1 अप्रैल से लागू होंगे; यह रिपोर्ट है, अधिसूचित निर्णय नहीं (IE)। परिषद अनुच्छेद 279A (101वाँ संशोधन, 2016) के अंतर्गत गठित संवैधानिक निकाय है, जो GST की दरों, जिनमें बैंड सहित न्यूनतम दरें भी शामिल हैं, की सिफारिश करने के लिए अधिकृत है।
कस्तूरी कॉटन भारत — भारतीय कपास के लिए ब्लॉकचेन-आधारित अनुरेखणीयता	द हिंदू की रिपोर्ट है कि 30 सितंबर को समाप्त हुए विपणन सत्र में लगभग 2.1 लाख गाँठ भारतीय कपास को कस्तूरी कॉटन भारत के रूप में प्रमाणित किया गया, जो 2023-24 में 47,100 गाँठ था, और अब 10 लाख से अधिक गाँठ कस्तूरी कॉटन भारत ब्लॉकचेन पर हैं, जिससे कपास से अंतिम उत्पाद तक प्रौद्योगिकी-सक्षम अभिलेख-शृंखला बनती है। कपास का विपणन सत्र अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। इस ब्रांड का उद्देश्य खरीदारों को भारतीय कपास के मूल स्थान और गुणवत्ता का आश्वासन देना है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित — अगले वायु सेना प्रमुख	रक्षा मंत्रालय ने वायु सेना के उप-प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को 29वें वायु सेना प्रमुख (Chief of the Air Staff) के रूप में नामित किया है; वे 31 अक्टूबर को एयर चीफ़ मार्शल अमर प्रीत सिंह से पदभार लेंगे, जो उसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं (द हिंदू)। उन्हें 6 दिसंबर 1986 को लड़ाकू शाखा में कमिशन मिला था। इस पद पर एयर चीफ़ मार्शल का रैंक होता है; अर्जुन सिंह भारतीय वायु सेना के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारतीय वायु सेना का मार्शल (2002) बनाया गया, जो एक औपचारिक पाँच-सितारा रैंक है।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) — 7 अक्टूबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.4 (10 अंक, 150 शब्द)

न्यायालय द्वारा राज्य की सहमति के बिना आदेशित CBI जाँच पुलिस पर राज्यों के अधिकार को किस सीमा तक कमज़ोर करती है? (10 अंक, 150 शब्द)

भूमिका — “लोक व्यवस्था” और “पुलिस” राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 1 और 2 हैं; DSPE अधिनियम, 1946 की धारा 6 CBI के प्रवेश को राज्य की सहमति पर निर्भर करती है। 5 अक्टूबर को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सहमति बिना CBI को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया।

- 1. सहमति लाँघना केवल असाधारण स्थिति में** — State of West Bengal v. CPDR (2010) में संविधान पीठ ने अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत ऐसे आदेश संयम से अनुमत किए। आरोप सरकार के अपने कार्यालय पर हो, तो उसकी पुलिस हितों के टकराव में होती है।
- 2. नियमित प्रयोग सूची II खोखली करेगा** — PMLA की धारा 66(2) के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पत्र जनहित याचिका बने, फिर CBI का मामला। हर ऐसा पत्र यह कर सके, तो ED ही जाँचकर्ता चुनता है; चुनाव-पूर्व समय दुरुपयोग के आरोप बुलाता है।

निष्कर्ष — अतिक्रमण कानून में सीमित, व्यवहार में वास्तविक है। आगे की राह: पंजाब की अपील में सर्वोच्च न्यायालय विश्वसनीय सामग्री, सिद्ध पुलिस-विफलता और असाधारणता की कसौटी तय करे।

यह बनाइए: दूसरे बिंदु के बगल में प्रवाह-चित्र: ED का पत्र → राज्य पुलिस → जनहित याचिका → उच्च न्यायालय → CBI, और अंतिम तीर पर “सहमति लाँघी गई” का चिह्न।

(161 शब्द)

11.2 GS1 कोना — इतिहास: अक्टूबर की दो क्रांतियाँ: रूस (1917) और चीन (1949)

आज का संदर्भ: IE p4

- 1. रूस का अक्टूबर उस फ़रवरी-शासन के बाद आया जो युद्ध लड़ता रहा** — 1917 की फ़रवरी क्रांति ने रोमानोव वंश को उखाड़ फेंका, पर अस्थायी सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध जारी रखा और भूमि-सुधार टाल दिया। अक्टूबर में (रूस के तत्कालीन कैलेंडर के अनुसार) लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने पेत्रोग्राद का विंटर पैलेस अपने कब्जे में लिया और शांति तथा भूमि की घोषणा की।
- 2. चीन की क्रांति ने किसान को केंद्र में रखा** — 1927 में च्यांग काई-शेक के कम्युनिस्टों के विरुद्ध हो जाने के बाद माओ ने भूमि-सुधार और छापामार युद्ध के आधार पर ग्रामीण आंदोलन खड़ा किया; 1934-35 के लॉन्ग मार्च ने उसका अस्तित्व बचाए रखा। कुओमिन्तांग के ताइवान लौट जाने के बाद माओ ने 1 अक्टूबर 1949 को जन-गणराज्य की घोषणा की।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- 1917 में लियोन ट्रॉट्स्की पेत्रोग्राद सोवियत के अध्यक्ष थे।
- चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई, 1919 के चौथे मई आंदोलन के बाद।
- 1927 की नेहरू की सोवियत संघ यात्रा ने नियोजन के बारे में उनकी सोच को प्रभावित किया।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz)	ईरान (उत्तर) और ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप (दक्षिण) के बीच; फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।	टैंकर MT On Peace पर प्रक्षेप्य लगा; 11 भारतीय चालक-दल सदस्य घायल (4.1)।	खसब जिस मुसंदम में है, वह ओमान का एक बाह्य-खंड (एक्सक्लेव) है, जो UAE के कारण शेष ओमान से कटा हुआ है।
सियांग और ऊपरी सियांग ज़िले (Siang and Upper Siang districts)	मध्य अरुणाचल प्रदेश में, सियांग नदी के किनारे, जो तिब्बत (चीन) से आकर दक्षिण में असम में बहती है।	सियांग अपर परियोजना के सर्वेक्षणों को लेकर झड़पें; आदी युवाओं की बलों की वापसी की मांग (5.1)।	सियांग ही यारलुंग त्सांगपो है; असम में दिबांग और लोहित से मिलकर यह ब्रह्मपुत्र बन जाती है।
सुकमा (Sukma)	छत्तीसगढ़ (बस्तर क्षेत्र) का सबसे दक्षिणी ज़िला, जिसकी सीमाएँ ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगती हैं।	ग्राम सभाओं ने PESA का हवाला देकर पादरियों को रोका और ईसाइयों को दफ़नाने की	यह पाँचवीं अनुसूची का अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ PESA, 1996 लागू होता है।

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
		भूमि देने से इनकार किया (8.1)।	
पारादीप (Paradip)	ओडिशा तट पर, जगतसिंहपुर ज़िले में, बंगाल की खाड़ी पर महानदी के मुहाने पर।	7-8 अक्टूबर को समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास SAREX-2026 की मेज़बानी (त्वरित तथ्य)।	पारादीप भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): नैतिक साहस (Moral courage)

अर्थ — जब कर्तव्य की माँग व्यक्तिगत कीमत चुकाने पर आए (अकेलापन, प्रतिशोध या बिगड़ता करियर), तब भी वही करना जो ज़रूरी है। अवज्ञा के विपरीत यह वैधानिक रास्तों से चलता है और अभिलेख रखता है।

आज के समाचार में — प्रकरण 1 में, जो KPSC की गिरफ़्तारियों (1.3) पर आधारित है, एक सदस्य को पता चलता है कि परीक्षा-नियंत्रक मेरिट सूची लीक कर रहा है; चुप रहने से आयोग की साख़ बचती है, शिकायत करने पर अध्यक्ष का क्रोध झेलना पड़ सकता है।

उत्तर में उपयोग — व्हिसलब्लोइंग या निष्ठा की दुविधाओं में: शिकायत करने का निर्णय लेते समय इसका नाम लें, फिर वैधानिक माध्यम दिखाएँ।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

प्रगति नापने के लिए चुनी गई कोई संख्या समय के साथ स्वयं लक्ष्य बन सकती है। तब संस्था उस स्थिति को सुधारे बिना संख्या सुधार सकती है, जिसे वह संख्या बताने के लिए बनी थी। ख़तरा तब सबसे अधिक होता है जब संख्या अच्छी दिखती है।

किसी ऐसे रोग पर विचार कीजिए जिसे उस समय उपचाराधीन रोगियों की संख्या से गिना जाता है। यदि कोई नई दवा लोगों को पहले से तेज़ी से ठीक कर दे, तो वे जल्दी रजिस्टर से बाहर हो जाते हैं और गिनती घट जाती है। तब अधिकारी सफलता की घोषणा कर सकते हैं, भले ही हर वर्ष उतने ही लोग संक्रमित हो रहे हों जितने पहले होते थे। आँकड़ा सही है; वह बस उस प्रश्न का उत्तर देता है जो ज़रूरी प्रश्न से अलग है। इससे बुरा, घटती गिनती सरकारों को धन और प्रशिक्षित कर्मचारी कहीं और भेजने के लिए राज़ी कर सकती है, जिससे नए मामले खोजने वाले कार्यकर्ता कम रह जाते हैं और गिनती ग़लत कारण से और नीचे आ जाती है।

ऐसी भूल के संकेत प्रायः देर से और हाशिये पर दिखाई देते हैं। बीमार पड़ते बच्चे दिखाते हैं कि संक्रमण अब भी लोगों के बीच फैल रहा है, क्योंकि वे उसे दशकों तक अपने भीतर नहीं ढो सकते थे। स्थायी क्षति के साथ आने वाले रोगी दिखाते हैं कि बीमारी बहुत देर से पकड़ी गई। इन आँकड़ों को जुटाना कठिन है और बताना कम सुखद, और ठीक इसीलिए ये उपयोगी हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि मापन व्यर्थ है। इसका अर्थ यह है कि हर संकेतक को उसके प्रयोजन के साथ पढ़ा जाए, और कोई लक्ष्य पूरा होने पर उसे उस परिणाम की कसौटी पर जाँचा जाए जिसे सुनिश्चित करने के लिए वह बना था। जो कार्यक्रम अपने असुविधाजनक आँकड़ों को देखने को तैयार है, उसके अपना काम पूरा करने की संभावना उस कार्यक्रम से अधिक है जो जल्दी जश्न मनाकर देखना बंद कर देता है।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है?

- रोगों के आँकड़े सामान्यतः अविश्वसनीय होते हैं।
- कोई संकेतक सुधर सकता है जबकि जिस समस्या को वह मापता है वह बनी रहती है, इसलिए उपायों को उनके प्रयोजन की कसौटी पर जाँचना चाहिए।
- सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में संख्यात्मक लक्ष्यों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए।
- तेज़ इलाज ही रोगों के फैलते रहने का मुख्य कारण है।

Q2. यह दावा कि बच्चों का बीमार पड़ना निरंतर संक्रमण को दर्शाता है, इस मान्यता पर आधारित है कि

- बच्चे वयस्कों की तुलना में इलाज के लिए अधिक तत्परता से जाते हैं।
- बच्चों की जाँच वयस्कों से अधिक सावधानी से होती है।
- वयस्क की बीमारी कई वर्ष पहले हुए संक्रमण से आई हो सकती है।
- बच्चों के मामलों का इलाज आसान होता है।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष गद्यांश से निकाला जा सकता है?

- उपचाराधीन रोगियों में गिरावट हमेशा नए संक्रमणों में कमी को दर्शाती है।
- रोगियों में स्थायी क्षति प्रभावी इलाज का संकेत है।
- जिन संकेतकों को जुटाना कठिन है, उन्हें छोड़ देना चाहिए।
- प्रत्यक्ष सफलता के बाद कर्मचारियों में कटौती से बिना वास्तविक सुधार के गिनती और घट सकती है।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. एक ज़िले में 2,40,000 लोगों की जाँच हुई। हर 600 में से एक व्यक्ति संदिग्ध पाया गया, और संदिग्ध मामलों में से 15% की पुष्टि हुई। कितने मामलों की पुष्टि हुई?

- (a) 40
- (b) 60
- (c) 90
- (d) 400

Q5. टैकर A, B, C और D एक के बाद एक जलडमरूमध्य से गुज़रे। C, A से पहले गुज़रा पर पहला नहीं था। D, B के ठीक बाद गुज़रा। सबसे अंत में कौन-सा टैकर गुज़रा?

- (a) A
- (b) B
- (c) C
- (d) D

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) गद्यांश दिखाता है कि संक्रमण जारी रहते हुए भी गिनती घट रही है; विकल्प 2 उसके अंतिम अनुच्छेद का खंडन करता है।

Q2: (c) बच्चे का मामला हाल के प्रसार को तभी सिद्ध करता है जब वयस्कों के मामले पुराने संक्रमण का परिणाम हो सकते हों; विकल्प 0 और 1 अप्रासंगिक हैं।

Q3: (d) कम कार्यकर्ता कम मामले खोजते हैं, इसलिए गिनती “शून्य कारण से और नीचे आ जाती है”। विकल्प 0 दूसरे अनुच्छेद के विपरीत है।

Q4: (b) संदिग्ध = $2,40,000 \div 600 = 400$; पुष्टि = 400 का 15% = 60।

Q5: (a) यदि B दूसरे या तीसरे स्थान पर होता, तो C को पहला होना पड़ता (वह A से पहले है), जो वर्जित है। अतः क्रम B, D, C, A है: A सबसे अंत में है।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड A • 6 मिनट पठन (min read)

दर्पण और खिड़की: जो संस्थाएँ स्वयं को नहीं देख पातीं, वे दूसरों की सेवा नहीं कर पातीं।

विषय (Themes): संस्था का पहला कर्तव्य: आत्म-परीक्षण • पारदर्शिता, भरोसा और नागरिक का भीतर झाँकने का अधिकार • ईमानदार भूल, छिपाव और सुधार की बनावट

मेरी तैयारी का सबसे कठिन अभ्यास तथ्य रटना नहीं रहा, अपनी ही उत्तर-पुस्तिका जाँचना रहा है। जब मैं अपना उत्तर दोबारा पढ़ता हूँ, तो वह पढ़ता हूँ जो मैं कहना चाहता था, वह नहीं जो पन्ने पर लिखा है; और खुद को वे अंक दे देता हूँ जो परीक्षक कभी न देता। जब कोई मित्र वही उत्तर निर्मम होकर पढ़ता है, तभी छूटा हुआ उदाहरण और कमज़ोर निष्कर्ष दिखाई देता है। संस्थाएँ भी इसी अंधेपन से ग्रस्त होती हैं, बस उनकी क्रीमत कहीं बड़ी होती है। उन्हें दो तरह की दृष्टि चाहिए। दर्पण संस्था को स्वयं को दिखाता है: उसकी भूलें, उसके रिसाव, उसके दावों और परिणामों के बीच की दूरी। खिड़की नागरिक को भीतर झाँकने देती है और संस्था को बाहर उन लोगों को देखने देती है जिनकी सेवा के लिए वह बनी है। मेरा तर्क यह है कि पहले दर्पण चाहिए। दर्पण के बिना खिड़की दुकान का शो-केस बन जाती है, और संस्था जनता को उतना ही बता सकती है जितना उसने पहले स्वयं को जानने दिया हो।

इतिहास में ऐसे राज्य विरले हैं जिन्होंने अपने सामने दर्पण रखा हो। कलिंग-विजय के बाद अशोक ने तेरहवें शिलालेख में उसकी क्रीमत दर्ज करवाई: डेढ़ लाख लोग बंदी बनाकर ले जाए गए, एक लाख मारे गए, उससे कई गुना मरे, और स्वयं राजा का पश्चाताप। बहुत कम शासकों ने अपने पीड़ितों को पत्थर पर अंकित किया है। फिर भी इस दर्पण में एक अंधा कोना था। यह शिलालेख कलिंग में ही, धौली और जौगड में, नहीं मिलता; वहाँ उसके स्थान पर पृथक शिलालेख अधिकारियों से बात करते हैं और चेताते हैं कि अन्याय क्रोध, जल्दबाज़ी और आलस्य से जन्म लेता है। सीख दोहरी है: सत्ता के शिखर पर भी ईमानदार आत्म-लेखा संभव है, और सबसे ईमानदार संस्था भी यह चुनती है कि दर्पण कहाँ रखे।

विज्ञान मनुष्य का बनाया सबसे विकसित दर्पण है। सितंबर 2011 में ओपेरा प्रयोग ने बताया कि कुछ न्यूट्रिनो प्रकाश से तेज़ चलते दिखे। क्रांति की घोषणा करने के बजाय सर्न ने दुनिया भर के भौतिकविदों को उस माप की कड़ी जाँच करने और उसे दोहराने का न्योता दिया। फ़रवरी 2012 तक कारण मिल गया, एक ढीला फ़ाइबर-ऑप्टिक केबल, और अगले ही महीने प्रयोग के प्रमुखों ने पद छोड़ दिया। विज्ञान ने एक सुर्खी गँवाई, पर अपनी साख बचा ली। इस सप्ताह आइसक्यूब न्यूट्रिनो दूरबीन को मिला नोबेल पुरस्कार इसी आदत पर टिका है: कोई दावा तभी भरोसे लायक बनता है जब उसके रचनाकारों ने ही उसे तोड़ने की सबसे अधिक कोशिश की हो।

शासन दिखाता है कि दर्पण न हो तो क्या होता है। अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोग इसलिए बनाते हैं कि योग्यता केवल चुनी न जाए, चुनी जाती हुई दिखे भी। कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि आयोग के अपने परीक्षा नियंत्रक ने पैसे लेकर प्रश्न लीक किए। ये अभी आरोप हैं, पर एक तथ्य अभी से स्पष्ट है: खतरे की घंटी बाहर की एजेंसियों ने बजाई, आयोग के अपने अभिलेखों ने नहीं। जो संस्था यह न बता सके कि मेरिट सूची छुपने से पहले किसने देखी, उसके पास दर्पण नहीं है। भारतीय प्रेस परिषद लगभग एक वर्ष से एक भी कार्यरत पत्रकार के बिना चल रही है, क्योंकि नामांकन मंत्रालय की अधिसूचना की बाट जोह रहे हैं; प्रेस का अपना दर्पण एक लंबित हस्ताक्षर पर टंगा है। माप भी चापलूसी कर सकता है। भारत ने 2005 में कुष्ठ रोग को 'जन-स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन' की वैश्विक कसौटी पार कर ली, फिर भी ताज़ा कार्यक्रम-रिपोर्ट बताती है कि अनुमानित 300 के बजाय केवल 148 ज़िलों में संक्रमण की कड़ी टूटी है। पूरा हुआ लक्ष्य चलती हुई बीमारी को ढक सकता है।

खिड़की इसलिए ज़रूरी है कि किसी संस्था की विफलता को सबसे पहले अक्सर वही देखते हैं जो उसे भुगतते हैं। नब्बे के दशक में राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन ने गाँव की जनसुनवाईयों में सरकारी अभिलेख ज़ोर से पढ़े, और मज़दूरों ने ऐसे कामों का ब्योरा सुना जो कभी हुए ही नहीं और ऐसी मज़दूरी का जो उन्हें कभी मिली ही नहीं। वही खिड़की आगे चलकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और सामाजिक अंकेक्षण बनी। आज कसौटी डिजिटल है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार ऑनलाइन भुगतान पर सबसे अधिक भरोसा करने वाले भारतीय ही ठगी के अधिक शिकार हुए, और बैंक पीड़ितों से कहते हैं कि उन्होंने 'मिलीभगत' की। जो भरोसा देख नहीं सकता, वह विश्वास नहीं, असुरक्षा है। हैस क्रिश्चियन एंडरसन यह समझते थे: उनकी कथा में पूरा दरबार सम्राट के अदृश्य वस्त्रों की प्रशंसा करता है, और केवल बाहर खड़ा एक बच्चा वह कहता है जो सब देख रहे हैं। कबीर ने यही विनम्रता सिखाई: "निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुभाय॥"

प्रतिपक्ष का तर्क गंभीर है। अधिक दर्पण पंगु भी कर सकता है। जिन अधिकारियों को डर हो कि हर फ़ाइल का अंकेक्षण, जाँच और प्रचार होगा, वे निर्णय लेना ही छोड़ देते हैं, और नीति ठहर जाती है। कुछ विचार-विमर्श को एकांत चाहिए; सूचना का अधिकार अधिनियम स्वयं मंत्रिमंडल के कागज़ों को तब तक संरक्षण देता है जब तक निर्णय न हो जाए और मामला पूरा न हो जाए, क्योंकि जो सलाहकार हर शब्द अभिलेख के लिए बोलते हैं, वे खुलकर बोलना बंद कर देते हैं। आत्म-परीक्षण आत्म-दोषमुक्ति भी बन सकता है, क्योंकि कोई अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। और खिड़कियाँ सजाई भी जा सकती हैं: हरे निशानों से भरा डैशबोर्ड जनता को ठीक वही दिखाता है जो संस्था दिखाना चाहती है।

ये आपत्तियाँ कम दृष्टि का नहीं, बेहतर ढंग से गढ़ी गई दृष्टि का तर्क हैं। पहला, दर्पण का एक हिस्सा दूसरों के हाथ में होना चाहिए: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, स्वतंत्र सदस्य, संरक्षित शिकायतकर्ता, न्यायालय। दूसरा, संस्था को ईमानदार भूल और छिपाव में भेद करना होगा। ओपेरा के भौतिकविद अपना केबल खुद खोजने के कारण बदनाम नहीं हुए; छिपाते तो होते। जहाँ भूल बताना सुरक्षित हो और छिपाना महंगा, वहाँ लोग देखते हैं। तीसरा, वही मापा जाए जो मायने रखता है: व्यापकता नहीं, संक्रमण; निपटाई गई शिकायतें नहीं, लौटाई गई रकम। चौथा, खिड़की निर्णय के बाद भी खुल सकती है: आज ईमानदारी से रखे गए और कल खोले गए अभिलेख सलाहकारों को बहस की जगह भी देते हैं और उन्हें जवाबदेह भी रखते हैं।

मैं अपनी उत्तर-पुस्तिका पर लौटता हूँ। मैं तभी सुधरता हूँ जब किसी और को उसे पढ़ने देता हूँ और अपने 'कहना चाहता था' का बचाव छोड़ देता हूँ। संस्थाएँ इससे भिन्न नहीं। अशोक का शिलालेख, भौतिकविदों का केबल और कबीर का आँगन में बसा निंदक एक ही अनुशासन सिखाते हैं: स्वयं को वैसे देखना जैसे दूसरे देखेंगे, उनके देखने से पहले। नागरिक किसी संस्था को उसकी खिड़की से उतना ही साफ़ देख सकता है, जितना साफ़ संस्था ने पहले स्वयं को दर्पण में देखा हो।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards):